

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2013—पौष 21, शक 1934

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. ई.-5-529-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजय तिकी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अजय तिकी की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से देखा जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय तिकी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय तिकी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव उक्त अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय तिकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय तिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. ई.-5-448-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुरंजना रे, भाप्रसे (1982) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरंजना रे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुरंजना रे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरंजना रे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-529-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजय तिकी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था, तथा अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को सौंपा गया था।

(2) उक्तादेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अजय तिकी की अवकाश अवधि में श्रम विभाग का प्रभार श्री के. पी. सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार श्री प्रवीण कृष्ण, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को सौंपा जाता है।

(3) श्री अजय तिकी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. पी. सिंह, श्रम विभाग तथा श्री प्रवीण कृष्ण चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई.-5-768-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संदीप यादव, आयएस., कलेक्टर, जिला गुना को समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, तथा अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार श्री व्ही. एस. रावत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

गुना को सौंपा गया था, में संशोधन करते हुए अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार श्री रावत के स्थान पर श्री अशोक कुमार मांदलिया, अपर कलेक्टर, गुना को सौंपा जाता है।

(2) श्री संदीप यादव द्वारा कलेक्टर, जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार मांदलिया, कलेक्टर, जिला गुना के प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई.-5-895-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मसूद अख्तर, आयएस., कलेक्टर, जिला सीधी को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार श्री बी. बी. श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर, जिला सीधी को सौंपा गया है, में संशोधन करते हुए अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार श्री बी. बी. श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर, जिला सीधी के स्थान पर अब श्री राधेश्याम अगस्थी, राप्रसे 94 अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी को सौंपा जाता है।

(2) डॉ. मसूद अख्तर द्वारा कलेक्टर, जिला सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम अगस्थी, कलेक्टर, जिला सीधी के प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. ई.-5-547-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएस., तत्का. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग [वर्तमान में विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली] को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री शैलेन्द्र सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती स्नेहलता कुमार, आयएस., विकअ-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्नेहलता कुमार उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-855-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक देशवाल, आयएएस., अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 19 से 27 नवम्बर 2012 तक नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री अशोक देशवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक देशवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. ई.-5-462-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्र. ई.-5-411-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजय नाथ, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 द्वारा दिनांक

24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई.-5-667-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस., कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 10 दिसम्बर 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री संजय दुबे, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी देश तक, स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-709-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 28 जनवरी से 1 फरवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-831-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री स्वाति मीणा, आयएस., कलेक्टर, जिला मण्डला को दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) सुश्री स्वाति मीणा की अवकाश अवधि में श्री प्रबल सिपाहा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मण्डला का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री स्वाति मीणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री स्वाति मीणा द्वारा कलेक्टर, जिला मण्डला का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रबल सिपाहा, कलेक्टर, जिला मण्डला के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री स्वाति मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री स्वाति मीणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. ई.-5-483-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री के. के. सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 5 से 9 जनवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री के. के. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, लोक निर्माण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. के. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-770-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएस., कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 7 से 16 जनवरी 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, की अवकाश अवधि में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-850-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. एम. शर्मा, आयएस., कलेक्टर, जिला उज्जैन को समसंख्यक आदेश

दिनांक 19 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 25 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 9 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-894-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अशोक भार्गव, आयएस., कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 1 से 12 अक्टूबर 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में डॉ. अशोक भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आर. परशुराम, मुख्य सचिव.**

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. एफ ए 1-13-2012-एक (1).—राज्य शासन, एतद्द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परियोजनाओं के अनुमोदन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से गठित साधिकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में टेली समाधान (काल सेन्टर) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग घोषित किया जाता है।

क्र. एफ ए 1-14-2012-एक (1).—राज्य शासन, एतद्द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परियोजनाओं के अनुमोदन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से गठित साधिकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्र. ई-5-903-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, आयएस., कलेक्टर, जिला उमरिया को इस विभाग के

समसंख्यक आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एम. के. बातव, अवर सचिव "कार्मिक".**

**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2012

क्र. एफ-5-04-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निर्मांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

क्रमांक (1)	नाम (2)	जिला (3)
1.	श्रीमती रेखा पाण्डेय	कटनी
2.	श्री अजय भटनागर	नीमच

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी। सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र. एफ.-13-06-2012-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री के. के. भावसार, उप नियंत्रक, नाम-तौल, जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से संयुक्त नियंत्रक, नाप-तौल के पद पर वेतनमान रुपये 15600—39100 ग्रेड पे रुपये 7600/- में पदोन्नत कर कार्यालय नियंत्रक, नाम-तौल, भोपाल में पदस्थ करता है। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श उपरांत पृथक् से किया जावेगा।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद के संबंध में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. के. चंदेल**, उपसचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 1(बी) 20-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री भगवानदास राठौर पुत्र श्री मदनलाल राठौर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शिवपुरी सत्र खण्ड के शिवपुरी राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, शिवपुरी नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

**टीप.**—श्री भगवानदास राठौर की जन्म तिथि 2-10-1972 (दो अक्टूबर उन्नीस सौ बहत्तर) है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 2-10-2034 (दो अक्टूबर दो हजार चौतीस) को पूर्ण होगी।

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 17(ई) 16-2003-इक्कीस-ब(दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा (2) का खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री भरत पी. माहेश्वरी, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं श्री जे. पी. गुप्ता, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है।

No. 17(E)16-2003-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994),

the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby nominate Shri Bharat P. Maheshwari, District Judge & Chairman, District Legal Services Authorities, Jabalpur and Shri J. P. Gupta, District Judge & Chairman, District Legal Services Authority, Ujjain, Ex-Officio members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charges.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013

फा. क्र. 1(बी) 05-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अगस्त 2005 के द्वारा श्री रामनारायण मिश्रा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला विदिशा को नियुक्त किया गया था।

श्री रामनारायण मिश्रा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला विदिशा की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है।

फा. क्र. 1(सी) 01-2012-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जनवरी 2012 द्वारा एट्रोसिटीज न्यायालय मण्डला में नियुक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री अजय शर्मा द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2012 के आलोक में उनका विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2012 से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जे. एम. चतुर्वेदी**, सचिव.

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. डी-15-1-2013-चौदह-3.—चूँकि, भूतपूर्व मध्यभारत शासन ने मध्य भारत कृषि उपज मण्डी विधान संवत् 2009 (क्रमांक 17, सन् 1952) की धारा 31 के उपबंधों के अधीन जारी की गई उद्योग तथा व्यापार विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6311-13-सी-103-52, दिनांक 16 जनवरी 1954 (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के रूप में उल्लेख है) के द्वारा विदिशा जिले की तत्समय की विदिशा तहसील में गुलाबगंज कृषि उपज मण्डी स्थापित कर कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को नियमित किया है।

कृषि उपज मण्डी समिति गुलाबगंज द्वारा तहसील गुलाबगंज के ग्राम गूलरखेड़ी के पटवारी हल्का क्रमांक 10 के मानांक 131, क्षेत्रफल 0.805 हेक्टर भूमि मण्डी प्रांगण के लिये क्रय की गई। यह भूमि मण्डी समिति, गुलाबगंज के मण्डी प्रांगण के लिये पर्याप्त न होने से मण्डी समिति, गुलाबगंज द्वारा नवीन मण्डी प्रांगण के लिये गुलाबगंज तहसील में अन्य भूमि क्रय की गई है जिस पर प्रांगण के उपयोग हेतु मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है।

चूंकि, ग्राम गूलरखेड़ी के उल्लेखित मानांक 131 की 0.805 हेक्टर भूमि पर कृषि उपज मण्डी समिति, गुलाबगंज द्वारा मण्डी प्रांगण की आवश्यकताओं के लिये मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है और ना ही इस भूमि का मण्डी प्रांगण के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, गुलाबगंज द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा जनहित में कृषि उपज मण्डी समिति, गुलाबगंज, जिला विदिशा की तहसील गुलाबगंज के ग्राम गूलरखेड़ी के मानांक 131 की 0.805 हेक्टर क्षेत्रफल की भूमि को उक्त मण्डी के “प्रांगण क्षेत्र” गुलाबगंज से वातिल (डी-नोटीफाई) करने के आशय की घोषणा करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने की दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. डी-15-1-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव।

Bhopal, the 3rd January 2013

No. D-15-1-XIV-3.—WHEREAS, by the Industries and Commerce Department Notification No. 63-1-XIII-C-103-52, dated 16th January 1954 (hereinafter referred as the Notification) issued under Section 31 of the Madhya Bharat Agricultural Produce Markets Act, Sanwat 2009 (No. 17 of 1952) the former State of Madhya Bharat, by establishing the Agricultural Produce Market Committee, Gulabganj, regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the area of Gulabganj in Vidisha Tehsil of District, Vidisha.

An area of 0.805 hectare of land pertaining to Survey No. 131 in Village Gularkhedi of Patwari Ward No. 10 of Tehsil Gulabganj was purchased by the Agricultural Produce Market Committee, Gulabganj for its market yard. This land was not sufficient for the market yard of the Market Committee, Gulabganj, hence further land was purchased by the Market Committee, Gulabganj in Gulabganj Tehsil for new market yard, on which basic facilities are being constructed for the use of market yard.

WHEREAS, on the 0.805 hectare land of mentioned in Survey No. 131, basic facilities have not been constructed by the Agricultural Produce Market Committee, Gulabganj to fulfill its requirements and neither this land is being used in the form of market yard by the Agricultural Produce Market Committee, Gulabganj.

THEREFORE, the State Government in exercise of powers conferred under sub-section (i) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) hereby declares its intention to de-notify the said area of 0.805 hectare of Survey No. 131 of Village Gularkhedi of Tehsil Gulabganj of District Vidisha from “Market Yard Area” in the interest of public purpose.

Any objection, which may be received in writing to the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agricultural Development, Bhopal from any person with respect of this notification within six weeks from the date of publication of this notification in “Madhya Pradesh Gazette” will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

**वन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2013**

क्र. एफ-25-35-2012-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-8-2009-दस-2, भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2010 से सामान्य वनमण्डल पूर्व छिन्दवाड़ा के 6411.440 हे. क्षेत्र को पेच टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110-X-1-6-1-83, दिनांक 6 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमण्डल पूर्व छिन्दवाड़ा की सीमा/प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:—

अ.क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	सम्मिलित परिक्षेत्रों का नाम (मुख्यालय)	उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण	वनमण्डल की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	पूर्व छिन्दवाड़ा सा. वनमंडल (छिन्दवाड़ा)	छिन्दवाड़ा सा. (छिन्दवाड़ा)	387.690	छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा) छिन्दी (छिन्दी) चौरई (चौरई)	उत्तर—पूर्व बटकाखापा पश्चिम बटकाखापा अमरवाड़ा परिक्षेत्र (सामान्य) की सीमा. पूर्व—सिवनी जिले की सीमा एवं पेच टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र की सीमा. दक्षिण—दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमंडल (सामान्य) एवं पेच टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र की सीमा. पश्चिम—दक्षिण एवं पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल (सामान्य) की सीमा.	उत्तर—नरसिंहपुर जिले की सीमा. पूर्व—सिवनी जिले एवं पेच टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र की सीमा. दक्षिण—सिल्लेवानी एवं बिछुआ परिक्षेत्र (सामान्य) एवं पेच टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र की सीमा. पश्चिम—लावाघोघरी, सांवरी, परासिया, तामिया, देलाखारी एवं झिरपा (सामान्य) परिक्षेत्रों की सीमा.
	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	पूर्व छिन्दवाड़ा सा. वनमंडल (छिन्दवाड़ा)	अमरवाड़ा सा. (अमरवाड़ा)	825.976	अमरवाड़ा (अमरवाड़ा) पूर्व हरई (हरई) पश्चिम हरई (हरई) पूर्व बटकाखापा (बटकाखापा) पश्चिम बटकाखापा (बटकाखापा)	उत्तर—नरसिंहपुर जिले की सीमा पूर्व—सिवनी जिले की सीमा. दक्षिण—चौरई परिक्षेत्र (सामान्य) की सीमा. पश्चिम—पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल (सामान्य) की सीमा.	

योग . . . 1213.666

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**प्रशान्त कुमार, सचिव.**



## भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. एफ-25-35-2012-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-35-2012-दस-3, दिनांक 2 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रशान्त कुमार, सचिव.

## Bhopal, the 2nd January 2013

No. F-25-35-2012-X-3.—*Vide* Government of Madhya Pradesh, Forest Department Notification No. F. 15-8-2009-X-2, Bhopal, dated 5th October 2010, 6411.440 ha. forest area of East Chhindwara Territorial Forest Division has been included in buffer zone of Pench Tiger Reserve. Due to the above changes the boundary/management area of East Chhindwara Territorial Forest Division is reorganised by partially amending the Notification No. 110-X-1-6-1-83, dated 6th January 1983, of Government of Madhya Pradesh Forest Department as under:—

S.No.	Name of Circle	Name of District	Name of Forest Division (Head quarter)	Name of Forest Sub-Division (Head quarter)	Area (Sq. km.)	Name of Ranges (Head quarter)	Details of Forest Sub-Division boundary	Details of Forest Division boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Chhindwara	Chhindwara	East Chhindwara (T) Division (Chhindwara)	Chhindwara (T) (Chhindwara)	387.690	Chhindwara (Chhindwara) Chhindi (Chhindi) Chourai (Chourai)	<b>North</b> —Boundary line of East Batkakhapa, West Batkakhapa, Amarwara Range (T). <b>East</b> — Boundary of district Seoni & notified boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve. <b>South</b> —Boundary of South Chhindwara (T) Forest Division & notified boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve. <b>West</b> — Boundary of South Chhindwara (T) Forest Division & West Chhindwara (T) Forest Division.	<b>North</b> —Boundary of District Narsinghpur. <b>East</b> — Boundary of Distri+K10ct. Seoni & Pench Tiger Reserve Notified boundary of Buffer Zone. <b>South</b> —Sillewani, Bichua (T) Range & Pench Tiger Reserve Notified boundary of Buffer Zone. <b>West</b> — Lawaghoghari, Sanwari, Parasia, Tamiya, Delakhari & Jhirpa (T) Range boundary line.
	Chhindwara	Chhindwara	East Chhindwara (T) Division (Chhindwara)	Amarwara (T) (Amarwara)	825.976	Amarwara (Amarwara) East Harrai (Harrai) West Harrai (Harrai) East Batkakhapa (Batkakhapa) West Batkakhapa (Batkakhapa)	<b>North</b> —Boundary of District Narsinghpur. <b>East</b> — Boundary of District Seoni. <b>South</b> —Forest range Chourai (T) boundary line. <b>West</b> — Boundary of West Chhindwara (T) Forest Division.	
	Total . .				1213.666			

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
PRASHANT KUMAR, Secy.

**विभाग प्रमुखों के आदेश**  
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश  
रीवा, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. 23-वरिष्ठ लिपिक-2-2012.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस-3-2-99-एक-4, दिनांक 30 मार्च 2009 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 की कण्डिका 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. एन. रूपला, कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक दिन/त्योहार के लिये 2013 के लिये जिला रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्योहार अवकाश का नाम (4)
1	14 जनवरी 2013	सोमवार	मकर संक्रांति/पोंगल
2	09 सितम्बर 2013	सोमवार	गणेश चतुर्थी
3	05 नवम्बर 2013	मंगलवार	भाईदूज (दीपावली के बाद)

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालयों/उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

एस. एन. रूपला, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश**

राजगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्र. 13581-एस.सी.दो-2013.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर, जिला राजगढ़ वर्ष 2013 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (वार) (3)	त्योहार का नाम (4)
1	12 मार्च 2013	मंगलवार	उर्स बाबा बदखशानी
2	14 अक्टूबर 2013	सोमवार	दशहरा (विजयादशमी का दूसरा दिन)
3	04 नवम्बर 2013	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन, गोवर्धन/बलि पूजा अन्नकूट

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश**

विदिशा, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. क्यू-एससी-2012-163.—मध्यप्रदेश, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2013 के लिये विदिशा जिले के लिये नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	त्योहार का नाम (2)	स्थानीय दिनांक (3)	अवकाश दिन (4)	विवरण (5)
1	मकर संक्रांति पर्व	14 जनवरी 2013	सोमवार	सम्पूर्ण जिला
2	विजया दशमी का दूसरा दिन	14 अक्टूबर 2013	सोमवार	सम्पूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन	04 नवम्बर 2013	सोमवार	सम्पूर्ण जिला

उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे.

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 12-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
खण्डवा	हरसूद	कसरावद (निजी भूमि)	3.09 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां		कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
पूर्व निमाड़ खण्डवा	हरसूद	फेफरियाकला	कृषि भूमि रकबा 2.43 एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति		कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना में के पूर्ण जल स्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पूर्व निमाड़ खण्डवा	हरसूद	डांग	कृषि भूमि रकबा 1.32 एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना में के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**— भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	बड़गांवमाल	6.36 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**— भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	जूनापानी	5.91 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**— भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	ब्रम्होग्राम	4.45 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	गेहलगांव	2.38 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	कसरावद (आबादी भूमि)	4986.00 वर्गमीटर एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	जेतापुरकला	5.69 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	बहेड़ी रैयत	0.94 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	गुरांवा	9.03 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.—** भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	भँवरली	2.73 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.—** भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	धनवानीमाफी	17.22 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	लहाड़पुर रैयत	12.53 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	दगड़खेड़ी	12.06 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.



प्र. क्र. 28-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	प्रतापपुरा	2.04 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	लछौरामाल	11.09 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 30-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	सौनपूरा रैयत	0.57 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 31-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पूर्व निमाड़ खण्डवा	हरसूद	हथनौरा	कृषि भूमि रकबा 14.21 एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1, में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पूर्व निमाड़ खण्डवा	हरसूद	छाल्पाखुर्द	कृषि भूमि रकबा 14.16 एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1, में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पूर्व निमाड़ खण्डवा	हरसूद	मुगल रैयत	कृषि भूमि रकबा 11.61 एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1, में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 34-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपलब्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	चिखली	4.93 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	हरिपुरा माल	8.57 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	बड़गाव रैयत	4.26 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना में टापू के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	झागरियामाल	1.74 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	इमलानी रैयत	1.12 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

**नोट.**— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	मोहन्या खुर्द	0.87 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

**नोट.**— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	रेवापुर	0.98 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	बिल्लोद माल	2.67 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण पूर्ण जलस्तर एवं अतिक्रम जलस्तर पर डूब से प्रभावित.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	मोहन्या कला	0.53 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	बोरीबांदरी	0.42 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	बरूड़	2.08 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

**नोट.**— भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	बड़खालिया	9.86 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

**नोट.**— भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 2195-भू-अर्जन-प्र. क्र. 29-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	पांचपुला उत्तर	245.79 व. मी. शासकीय भूमि में स्थित संपत्ति मकान-2. जिला बड़वानी (म.प्र.)	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 12, राजपुर	लोअर गॉर्ड परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 1306-भू-अर्जन-12-प्र.क्र. 14-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2)के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	खातेगांव	भांजाखेडी	1.94	कार्यपालन यंत्री, परियोजना नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1298-भू-अर्जन-12-प्र.क्र. 15-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	फतेहगढ़	1.08	कार्यपालन यंत्री, परियोजना नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 577-प्र.क्र. 10-अ-82-2012-13-6468.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	बुढार	सारंगपुर	32.440	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, शहडोल (म.प्र.)	सारंगपुर जलाशय योजना के निर्माण कार्य डूब क्षेत्र एवं नहर में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बिजावर	खैराकला	46.750	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिजावर.	श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बिजावर	मंगलपुरा	168.990	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिजावर.	श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
छतरपुर	बिजावर	देवरी	86.880	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिजावर.	श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.  
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
छतरपुर	बिजावर	धरमपुरा	509.100	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिजावर.	श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.  
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
छतरपुर	बिजावर	वेदपुरा	71.910	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिजावर.	श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.  
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राजेश बहुगुणा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. 463-री-भू-अर्जन-2012-1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन-चरनोई शासकीय अतिक्रमित भूमि				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	खतड़गांव	26.66	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा., इ.सा.परि.सं. क्र. 2, धरमपुरी.	सरदार सरोवर परियोजना (अन्तराज्यीय प्रोजेक्ट) में आने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना संभाग 2, धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)	(6)
रायसेन	बरेली	नयागांव खुर्द	134	0.850	0.204	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, भोपाल.	इक्यावन नदी पर निर्मित पुल के पट्टे मार्ग निर्माण बाबत्
			135	2.157	0.204		
			149	0.829	0.054		
			योग . .	3.836	0.462		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहनलाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	गढ़ीपडरिया	निजी 4.488 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 4.488 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बृन्दावन तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 002-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	ऊँचा	निजी भूमि रकबा 6.49 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.15 हे. कुल रकबा 6.64 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	नांदन तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 003-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	विक्रमपुर	निजी भूमि रकबा 7.185 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 7.185 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जसवन्तपुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 004-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	जसवंतपुरा	निजी भूमि रकबा 19.404 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 19.404 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जसवन्तपुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 005-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	झिरमिला करियापानी.	निजी 14.46 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 21.29 हे. कुल रकबा 35.75 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	इमलिया तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 006-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सुडौर	निजी 0.25 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.25 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 007-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पडेरी	निजी 0.11 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.24 हे. कुल रकबा 0.35 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



प्र. क्र. 008-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पुरैना	निजी 0.55 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.31 हे. कुल रकबा 0.86 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 009-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	महिलवारा	निजी 0.18 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.18 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 010-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	महिलवारा	निजी 6.84 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 6.84 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 011-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	कचौरी	निजी 0.03 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.01 हे. कुल रकबा 0.04 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 013-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	देवरी	निजी 0.14 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.14 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 014-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	ठरका	निजी 0.66 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.66 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 015-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	शाहपुर कला	निजी 0.925 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.138 हे. कुल रकबा 1.063 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	शाहपुर खुर्द तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 016-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	गजन्दा	निजी 2.49 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10 हे. कुल रकबा 3.59 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	गजन्दा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 017-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	बोरी	निजी 0.19 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.19 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बोरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 018-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सलैयाफेरनसिंह	निजी 11.91 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.74 हे. कुल रकबा 13.65 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 019-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	बराहो	निजी 0.50 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.08 हे. कुल रकबा 0.58 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 020-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	अर्थाई	निजी 34.89 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.91 हे. कुल रकबा 40.80 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला-तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 022-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मलघन	निजी 0.03 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.03 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मलघन तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 023-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	देवरा	निजी 6.85 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.40 हे. कुल रकबा 7.25 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरा नम्बर 2 तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 024-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	लमतारा	निजी 0.41 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.41 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लमतारा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 025-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	चकरभटा	निजी 0.04 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.04 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	चकरभटा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 026-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	हरदुआ मेंमारी	निजी 1.24 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.50 हे. कुल रकबा 2.74 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	हरदुआ मेंमारी तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 027-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	लमतारा	निजी 1.00 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 1.00 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	हरदुआ मेंमारी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 028-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	सिमरा कला	निजी भूमि रकबा 1.73 हे. एवं एवं शासकीय भूमि रकबा 0.07 हे. कुल रकबा 1.80 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



प्र. क्र. 029-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	हनुमतपुर टौरिया	निजी 21.763 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 14.013 हे. कुल रकबा 35.776 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मझगांय मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 031-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बनहरी कला	निजी 158.60 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 112.89 हे. कुल रकबा 271.49 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मझगांय मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 032-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	मझगाँव	निजी 427.21 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 314.50 हे. कुल रकबा 741.71 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मझगाँव मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 033-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	कुंअरपुर	निजी 275.926 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 144.500 हे. कुल रकबा 420.426 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मझगाँव मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 034-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सलैया फेरन सिंह	निजी 0.11 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.11 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सलैया फेरन सिंह तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 035-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	टूँडा	निजी 3.95 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50 हे. कुल रकबा 4.45 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 036-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मिहगुवां तिलिया.	निजी 0.44 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.44 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 037-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रैगुवां	निजी 0.36 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.36 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रैगुवा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 038-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	रैगुवां	निजी 2.675 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 हे. कुल रकबा 2.750 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	गिटपिटा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 039-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पगरा	निजी 0.263 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.263 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पगरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 041-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	गिरवारा	निजी भूमि 0.338 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.338 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	गिरवारा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 042-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पगरा	निजी भूमि रकबा 0.150 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.150 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पगरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 043-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	बघवारकलां	निजी भूमि रकबा 0.225 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.025 हे. कुल रकबा 5.250 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	खोरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 044-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	गुनौर	निजी भूमि रकबा 1.822 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 1.822 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	गुनौर तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 045-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	किशनपाटन	निजी भूमि रकबा 0.375 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.375 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बघवारकलां तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 046-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	पड़ेरी	निजी भूमि रकबा 0.987 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.987 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिली तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 047-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	पहाड़ीखेरा	निजी भूमि रकबा 0.15 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.15 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पहाड़ीखेरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 048-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पगरा	निजी भूमि रकबा 0.263 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.263 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पगरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 219-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	भितरी मुटमुरु	निजी भूमि 8.06 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.88 हे. कुल रकबा 13.94 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भितरी मुटमुरु तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 220-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	महुआडाड़ा	निजी भूमि 1.735 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.982 हे. कुल रकबा 2.717 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



प्र. क्र. 221-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	रामपुर	निजी भूमि 0.270 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.037 हे. कुल रकबा 0.307 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 222-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	सिरी	निजी भूमि 0.125 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.125 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 223-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	बलगहा	निजी भूमि 0.225 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.225 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 224-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	मझगांवाशेख	निजी भूमि 0.173 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.173 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 226-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	माधवपुरा	निजी भूमि 0.75 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.75 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटी तलाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 227-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	हरदुआ सारसबाहू.	निजी भूमि रकबा 0.400 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.400 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	हरदुआ सारसबाहू तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 228-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	गजंदा	निजी भूमि 7.475 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.088 हे. कुल रकबा 7.563 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	चकरा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 229-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्र नगर	भिलसायं	निजी भूमि 4.588 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 4.588 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भिलसायं तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 230-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्र नगर	रैगढ़	निजी भूमि 0.25 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.25 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भिलसायं तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 231-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्र नगर	जमुनहाई कलां	निजी भूमि 0.275 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.275 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सकरिया तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 233-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	सनौरा	निजी भूमि 1.559 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 1.559 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत उपनहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 234-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	अमानगंज पतारा.	निजी भूमि 2.964 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 2.964 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 235-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	ककरहाई	निजी भूमि 0.935 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.106 हे. कुल रकबा 1.041 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 236-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पिपरवाह	निजी भूमि 12.060 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.195 हे. कुल रकबा 12.255 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 99-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—टप्पा घाटीगांव  
(ग) ग्राम—हुकुमगढ़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.170 हेक्टर.

सर्वे क्र. (1)	रकबा (हे. में) (2)
304	0.120
318	0.050
कुल योग . . . 0.170	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 130-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनौर

- (ग) ग्राम—अमरौल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.255 हेक्टेयर

सर्वे नं. (1)	कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में) (3)
519	0.303	0.230
525	0.648	0.271
819	0.125	0.052
2624	1.123	0.680
2586	0.523	0.042
2587	0.261	0.102
2631	0.554	0.314
2420	0.470	0.217
2421	0.387	0.007
2416	0.523	0.235
2591	0.471	0.084
502	0.136	0.021
कुल योग :		2.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 98-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—सूरजपुर	(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.620 हेक्टेयर			
	337	2.290	0.190
सर्वे नं.	कुल रकबा	अर्जित किये जाने	
	(हेक्टेयर में)	वाला अनुमानित	
		रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	
20	0.850	0.010	127
21	1.540	0.150	126
29	0.740	0.100	125
30	2.790	0.140	123
48	2.160	0.130	516
34	1.920	0.100	517
35	1.620	0.060	123
36	0.330	0.060	125
37	1.810	0.090	126
38	2.120	0.110	127
39/1, 39/2/ख, 39/3/ग	2.480	0.120	127
47	2.440	0.120	127
122/1, 122/2	1.670	0.180	127
121/1, 121/2	0.670	0.040	127
120	0.840	0.240	127
129	0.590	0.090	127
132	1.80	0.010	127
135	0.510	0.040	127
130	2.000	0.100	127
145	1.920	0.220	127
172	1.100	0.130	127
174	1.880	0.200	127
181	3.370	0.260	127
211	0.210	0.020	127
210	0.210	0.030	127
209	0.210	0.050	127
208	1.130	0.180	127
323	0.920	0.010	127
304	4.880	0.260	127
308	1.250	0.200	127
307	0.600	0.100	127
309	0.600	0.150	127
343	0.570	0.130	127
342	0.500	0.050	127
324	1.460	0.060	127
340	0.250	0.110	127
339	0.500	0.010	127
514	0.810	0.050	127

कुल योग : 55.270 4.620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. 06-अ-82-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—राजनगर

(ग) नगर/ग्राम—कुरेला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.706 हेक्टर.

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
839	0.108
840	0.097



(1)	(2)	(1)	(2)
841	0.033	34	0.710
842	0.154	81	0.080
845/2	0.126	121	0.360
847/2	0.065	33	0.160
848	0.054	35	0.050
849	0.020	36	0.160
851/2	0.049	40/1	0.400
योग . . .	<u>0.706</u>	40/2	0.080
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—लोक निर्माण सेतु बछौन मार्ग के कि.मी. 17/2 में उर्मिल नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु भूमि का अर्जन की आवश्यकता है.		60/2	0.020
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनगर में किया जा सकता है.		61	0.200
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		59	0.640
		127	0.240
		71	0.200
		75/2	0.160
		77	0.090
		79	0.200
		122	0.400
		123	0.040
		126	0.340
		125	0.030
		129	0.320
		130	0.360
		131/1	0.240
		78	0.200
		232	0.040
		132	0.030
		131/2	0.240
		131/3	0.240
		137	0.250
		234	0.700
		75/1	0.200
		कुल योग निजी भूमि . . .	<u>7.740</u>
		शासकीय भूमि—	
		124,37,73,76,105	0.140
		कुल योग—	<u>7.880</u>
(1) भूमि का वर्णन—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.	
(क) जिला—डिण्डौरी		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
(ख) तहसील—शहपुरा		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
(ग) ग्राम—संग्रामपुर, प.ह.नं. 31			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.880 हेक्टर.			
खसरा नं.	अर्जित रकबा		
	(हे. में)		
(1)	(2)		
	नहर कार्य निजी भूमि		
80	0.040		
31	0.320		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	(3)
	130/1	4.856	0.182
	109/1	1.700	0.040
रायसेन, दिनांक 24 दिसम्बर 2012	109/3	1.700	0.080
प्र. क्र. 1-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	109/2	1.938	0.141
	124	1.137	0.121
	123	0.437	0.064
	158	3.447	0.242
	163	1.505	0.089
	177/1	1.157	0.016
	177/2	1.157	0.048
	177/3	1.157	0.040
अनुसूची	177/4	1.152	0.020
(1) भूमि का वर्णन—	176/1	0.809	0.020
(क) जिला—रायसेन	176/2	0.809	0.020
(ख) तहसील/तालुका—बाड़ी	176/3	0.809	0.016
(ग) नगर/ग्राम—सनखेड़ा, गौरा मछवाई, बिसेर, गडरवास	176/4	0.809	0.020
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.902 हेक्टेयर.	176/5	0.809	0.008
	176/6	0.809	0.020
	176/7	0.809	0.020
खसरा नम्बर	176/8	0.809	0.016
कुल रकबा (हेक्टेयर में)	176/9	0.809	0.020
	176/10	0.318	0.008
(1)	(2)	(3)	
	164/1	0.951	0.121
	164/2	0.951	2.384
ग्राम—सनखेड़ा	योग	63.182	4.691
2/2/2/1/2	1.000	0.040	
36/2/2	4.451	0.048	
36/2/1	2.044	0.020	18/1/1
35/1	0.955	0.020	18/1/2
20/2/1	0.567	0.040	19/3
34/1	4.790	0.089	19/2/2
20/1	1.133	0.076	18/3/1
21	1.513	0.036	18/2/2
33/1	1.834	0.149	23
23	2.744	0.080	24/1
24/1	1.619	0.068	24/2
24/2/2	1.007	0.028	22/1
24/2/1	1.396	0.040	22/2
25/1/1	2.226	0.020	22/5
25/1/3/1	0.336	0.032	84/1
25/1/2	1.133	0.016	25
25/1/3/2	1.890	0.101	26/1
25/2/2 /1	1.700	0.032	71
			ग्राम—गौरा मछवाई
			1.046
			0.040
			0.060
			0.101
			0.010
			0.048
			0.024
			0.068
			0.080
			0.032
			0.060
			0.040
			0.028
			0.161
			0.202
			0.056

(1)	(2)	(3)
69	3.153	0.101
72/2	0.870	0.101
72/1	0.870	0.101
योग ..	<u>42.107</u>	<u>1.353</u>
<b>ग्राम—बिसेर</b>		
9/2/2/2	3.642	0.283
65/4/2/2/2	3.933	0.040
65/1	2.023	0.040
65/4/1	1.703	0.032
64/3/2	1.396	0.101
65/2	1.133	0.072
64/2	2.023	0.101
64/1	2.023	0.052
66/1	0.571	0.202
66/2	1.691	0.141
67/5	1.133	0.121
67/4	1.133	0.121
79	2.274	0.097
78/2/2	0.445	0.060
78/1	1.133	0.040
76/1/2	0.878	0.036
76/1/1	1.097	0.035
73/1/1/2	0.890	0.020
73/1/1/1	1.133	0.040
73/3/2/2	1.133	0.060
76/2/1	1.102	0.101
76/1/1/2	0.230	0.072
योग ..	<u>32.719</u>	<u>1.868</u>

**ग्राम—गडरवास**

75/1	1.538	0.052
75/2	1.769	0.043
74/5/2	1.133	0.012
74/5/1	1.133	0.016
74/1	1.740	0.020
74/2/1	1.214	0.024
74/2/2	1.368	0.072
74/3	1.133	0.040
74/4	1.133	0.040
64/4	4.453	0.032
64/1	0.575	0.020
64/3	1.213	0.052

(1)	(2)	(3)
48/3	1.243	0.121
63/1	2.842	0.101
50/1/4	0.889	0.080
50/1/3	0.889	0.080
50/2	0.809	0.024
50/3	0.809	0.024
51/3	0.546	0.032
51/2/2	0.781	0.030
51/2/1	0.556	0.020
योग ..	<u>27.766</u>	<u>0.990</u>

अर्जित होने वाला कुल रकबा=  
8.902 हेक्टेयर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बारना दांयी नहर एम 2 डी 4 की सब माइनरों के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बरेली जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, बारना बाड़ी, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—ग्राम मोतलसिर के पास नर्मदा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिये भूमि अर्जन.

- (क) जिला—रायसेन  
(ख) तहसील—बरेली  
(ग) ग्राम—मोतलसिर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.715 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
564/1	0.276
692/1/1	0.439
कुल योग ..	<u>0.715</u>

	(1)	(2)	(3)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम मोतसिर के पास नर्मदा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.	89/2, 103/3/2 138	0.405 0.287	0.405 0.287
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील बरेली, जिला रायसेन में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	134/2/1, 135 143,144,145 146,150,151/2 123/1 125/1 152/2 134/3, 135 140/2 142 143/1,144,145 146,150,151 143/3,144,145, 146,150,151	1.677 0.930 0.161 0.365 0.295 0.805 0.176 3.536 0.930 0.930 0.930	0.667 0.930 0.161 0.365 0.295 0.290 0.176 3.000 0.930 0.930
प्र. क्र. 6-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—			
<b>अनुसूची</b>			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—रायसेन	132	0.922	0.922
(ख) तहसील/तालुका—बेगमगंज	133/1	0.725	0.725
(ग) नगर/ग्राम—मसूरबाबडी, उमरहारी, गुलवाडा	133/2	3.775	3.005
(घ) लगभग क्षेत्रफल—138.552 हेक्टेयर.	232/153 172 170 155 156 167/1 168 169 158/1/1 164/2, 165, 167 158/2 158/3 164-166 165 157/2 160 184/2 185 215 216 220/1 211/1, 221 225/1 214	0.089 0.206 0.777 6.520 0.737 0.758 1.805 1.040 0.290 0.805 0.299 0.170 0.806 0.490 2.890 0.097 0.813 0.085 0.105 0.065 0.332 4.464 0.174 0.138	0.089 0.206 0.400 6.520 0.737 0.758 0.906 0.490 0.290 0.805 0.299 0.170 0.806 0.490 2.890 0.097 0.212 0.085 0.105 0.065 0.332 0.500 0.174 0.138
<b>भूमि का विवरण</b>			
खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	
<b>ग्राम—मसूरबाबडी</b>			
7/1,9	4.671	0.560	
10/2,12	1.246	0.356	
7/2,9	4.456	4.456	
10/1,12	3.145	2.005	
11	0.405	0.405	
13	0.291	0.291	
15	0.053	0.053	
136	0.073	0.073	
134/1,135	2.155	0.260	
140/1	1.323	1.000	
143,144,145	0.930	0.930	
146,150,151/4			
123/3	0.259	0.259	
125/3	0.656	0.656	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
220/2	0.331	0.331	92	0.158	0.158
225/2	0.177	0.177	88	0.158	0.158
161/1	1.214	1.214	68/1	0.348	0.348
162	0.247	0.247	90	0.979	0.979
163	0.332	0.332	89/3/1	1.384	1.384
158/1/2/2	0.396	0.396	134/2/2, 135	1.011	0.335
157/1/1/1/1	0.153	0.153	177/2	0.073	0.073
127	0.611	0.611	183/2	0.793	0.793
128	0.077	0.077	187/1-191	0.673	0.273
129	0.210	0.210	187/2-191	1.213	0.223
130	0.450	0.450	188/1, 189, 190	0.929	0.929
118	0.858	0.858	188/2, 189, 190	1.718	1.718
119	0.183	0.183	188/3, 189, 190	1.115	1.115
121	0.299	0.299	188/4, 189, 190	1.115	1.115
123/2	0.037	0.037	188/5, 189, 190	0.757	0.757
125/2	0.061	0.061	218	0.210	0.210
133/3	0.296	0.296	158/1/2/1	0.165	0.165
140/3	0.037	0.037	161/2	1.375	1.275
8/5	0.587	0.200	157/1/1/1	1.064	1.064
17/2	0.445	0.205	157/1/2	1.218	1.218
113	0.516	0.516	154	2.395	2.395
112/2	2.592	2.592	17/3	1.011	0.825
112/1	2.404	2.404	17/4	0.809	0.509
110	0.210	0.210	17/5	1.011	0.900
111	0.548	0.548	75	0.360	0.160
116	0.158	0.158	107/3	0.119	0.119
101	0.085	0.085	105/2	4.047	4.047
100	0.277	0.277	103/2/2/1, 89/2	0.104	0.104
99	0.190	0.190	103/1, 89/2	1.762	1.762
89/3/2	1.384	1.384	87	0.267	0.267
107/1	0.059	0.059	89/1/1	1.161	1.161
91/1	0.073	0.073	67/4	0.783	0.500
85/1	0.045	0.045	82/1	0.809	0.105
107/2	0.057	0.057	82/2	0.810	0.750
91/2	0.073	0.073	82/3	0.809	0.650
85/2	0.049	0.049	82/4	0.809	0.405
109	0.255	0.255	80/3	0.809	0.109
105/1	0.248	0.248	80/4	0.802	0.405
81	0.478	0.278	80/5	0.809	0.809
103/2/2/2, 89/2	0.024	0.024	79/1	1.535	1.535
103/2/1, 89/2	0.445	0.445	79/2	1.000	0.500
103/3/1, 89/2	0.344	0.344	79/3	1.000	0.500
95	0.097	0.097			
96	0.194	0.194			
98	0.170	0.170			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	ग्राम—उमरहारी		40	0.291	0.291
257/1	0.146	0.146	41	1.295	0.500
256/1	0.162	0.162	43	0.198	0.198
252	0.101	0.101	44	0.307	0.150
253/1/1	0.283	0.283	42	0.146	0.146
253/1/2/1	0.372	0.372	37	0.182	0.182
253/1/2/2/1	0.364	0.364	28/1/2, 29, 30	0.809	0.405
258	0.061	0.061	36	0.117	0.117
259	0.057	0.057	38	0.324	0.324
257/2	0.113	0.113	35	1.218	1.218
256/2	0.615	0.615	34	1.388	1.388
253/1/2/2/2	0.999	0.999	32	4.561	3.500
255	0.166	0.166	13	0.725	0.725
249	2.177	1.177	14	0.158	0.158
254	0.534	0.334	15	0.170	0.170
250	0.208	0.050	16	0.194	0.194
253/2	0.275	0.275	18	0.575	0.575
261	0.206	0.206	2/1	0.666	0.666
304, 314, 315	1.958	0.350	2/2	0.680	0.680
253/2/2	0.105	0.105	3	1.032	1.032
302/2	0.133	0.133	4	0.174	0.174
274/1	0.041	0.041	6	0.271	0.271
264/1	1.808	1.000	7	0.093	0.093
263	0.271	0.271	8	0.093	0.093
270	0.709	0.400	10	0.283	0.283
273	0.316	0.316	11/1	5.560	5.560
265/1	3.250	3.250	11/2	1.951	1.951
268	0.194	0.194	12	0.101	0.101
274/2	0.202	0.050	17/1	0.380	0.380
275	0.466	0.266	17/2	0.603	0.603
297/2	0.032	0.032	19	0.243	0.243
298	0.587	0.587	20	0.045	0.045
253/2/1	1.619	1.619	21	0.441	0.441
253/2/2	0.405	0.105	22	0.182	0.182
300	0.073	0.073	23	0.210	0.210
302/3	0.162	0.162	24	3.064	2.000
272	2.189	0.289	28/1/1, 29, 30	4.371	1.371
264/2	1.214	1.214	31/2	0.834	0.834
	ग्राम—गुलवाडा		योग . .	<u>184.108</u>	<u>138.552</u>
77	0.304	0.100			
78	0.530	0.100			
72	7.839	1.000			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मसूर बावड़ी जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. 2097-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—करैरा  
(ग) ग्राम—अम्बारी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.87 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
522	0.17
106	0.08
429	0.05
133	0.40
218	0.48
200	0.12
195	0.36
439	0.01
392	0.03
426	0.01
428	0.02
379	0.14
कुल योग . .	1.87

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लघु सिंचाई योजना कासना नाला तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)  
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. 13398-99-भू-अर्जन-10. क्रमांक-10387-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—नरसिंहगढ़, मवासा झाडला  
(ग) नगर/ग्राम—मवासा, पाडल्याखेडी, झाडला.  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.706 हेक्टेयर.

ग्राम—मवासा

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
196	0.038
215/2	0.010
197	0.018
198	0.018
199	0.006
200	0.007
201/1	0.025
202	0.010
204	0.025
207	0.013
210	0.013
221	0.006
222	0.007
223	0.013
234	0.051
235/2	0.005
240/1	0.020
240/2	0.030
240/3	0.010
241	0.051
242	0.025

(1)	(2)	(1)	(2)
347	0.020	167	0.020
348	0.025	183/2	0.008
349/2	0.020	184/2	0.010
कुल रकबा . .	<u>0.466</u>	185/3	0.021
		186/1	0.030
<b>ग्राम—पाडल्याखेडी</b>		219	0.030
6/1/1	0.100	221/1/2	0.070
9/5	0.076	245/1	0.020
10	0.040	244	0.030
11/1	0.030	245/2	0.020
11/3	0.005	245/3	0.020
11/2	0.020	248/1/1	0.020
12	0.020	248/2	0.080
50/1	0.013	251	0.050
57/2	0.050	252	0.060
58	0.050	254	0.050
50	0.020	255/1	0.015
120/3	0.040	255/2	0.008
50/3	0.013	256/1	0.006
57/1	0.050	266/1	0.150
60/2/6	0.055	267	0.006
63/3	0.006	266/2	0.050
64/1	0.025	कुल रकबा . .	<u>1.748</u>
63/5	0.020	<b>ग्राम—झाड़ला</b>	
64/3	0.050	2	0.050
63/4	0.005	6	0.070
64/4	0.040	7	0.180
63/1	0.035	5/1	0.420
63/2	0.040	5/2	0.100
65	0.020	8	0.013
66/1	0.006	16/2	0.150
67/1	0.020	16/1/1	0.060
125/1	0.030	16/1/2	0.070
150/1	0.006	13	0.020
125/2	0.020	15/1	0.408
126	0.007	24	0.025
128/1	0.012	25/1	0.013
128/2	0.005	25/2	0.170
150/2	0.006	26/2	0.070
150/3	0.006	28/1	0.020
151	0.020	28/2	0.040
152	0.007	34	0.090
153	0.006	58/1/2	0.126
		60	0.010



(1)	(2)
65/2/3	0.280
68/2	0.005
68/1	0.005
68/3	0.003
66/2	0.006
66/1	0.010
80	0.030
92	0.050
91/1	0.010
89/2	0.061
338/2	0.015
339/2	0.006
338/1	0.030
100/1	0.006
100/2	0.006
332/1	0.004
311	0.025
310	0.110
298	0.030
306	0.070
308	0.020
307	0.050
299	0.005
293/1	0.100
293/2	0.050
294	0.100
12/2	0.020
83/1	0.040
86/5/1	0.030
87/1/1	0.010
83/1	0.020
87/1/2	0.020
292	0.030
775/2	0.040
775	0.080

कुल रकबा . . . 3.482

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है —मवासा, पाड़ल्याखेड़ी, झाड़ला मार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहण की जाने वाली उक्त भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13400-01-भू-अर्जन-10. क्रमांक-10387-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
 (ख) तहसील—नरसिंहगढ़ बोडा बोरखेड़ा  
 (ग) नगर/ग्राम—बोडा, बकानी, झाड़पीपल्या, गाथला, चोरखेड़ी, ढाबला, पनवाडी, कंडाराकोठरी, पीपल्याबीरम्, कोटरीकला, बोरखेडा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—24.039 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
-----------------------	--------------------------

#### ग्राम—बोडा

1197/1	0.065
1197/2	0.013
1283/1	0.032
1283/2	0.013
1281/1	0.013
1281/2	0.013
1282/2	0.026
1278	0.026
1280	0.038
1277/1	0.019
1279/1	0.013
1277/2	0.019
1279/2	0.013
1275	0.013
1276	0.076
1273/2	0.056
1199	0.063
1200/1	0.137
1200/2	0.100
1241/2	0.089
1242/2	0.104
1241/1	0.026
1242/1/1	0.052
1240/3/1	0.026

(1)	(2)	(1)	(2)
1242/1/2	0.063	350/2	0.052
1097	0.010	371/2	0.078
1098	0.405	371/3	0.065
1095	0.126	350/3	0.013
2341/2	0.024	354/2	0.012
2341/1/2	0.139	357/3	0.078
1096	0.013	357/2	0.005
2340	0.020	352	0.025
2334	0.076	359	0.005
2346/1	0.026	353	0.025
1089	0.039	354/3	0.046
1077/2	0.063	348	0.126
1074	0.089	350/1	0.165
1075	0.013	341/3	0.126
1071/1	0.113	कुल रकबा . .	<u>3.025</u>
1071/2	0.152	ग्राम—गाथला	
1067	0.215	26/1	0.042
कुल रकबा . .	<u>2.631</u>	कुल रकबा . .	<u>0.042</u>
ग्राम—बकानी		ग्राम—चोरखेडी	
14/1/1	0.126	136/1/1	0.039
14/1/2	0.024	461	0.214
14/2	0.002	460/2	0.026
14/3/1	0.126	460/1/1	0.021
14/3/2	0.052	460/1/2	0.022
16/1/1	0.215	460/1/3	0.022
16/1/2	0.078	कुल रकबा . .	<u>0.344</u>
68/2	0.890	ग्राम—झाडपीपल्या	
118/1	0.152	44	0.080
117/3	0.039	49	0.013
117/4	0.039	51/1	0.065
147/1	0.052	51/2/1	0.040
148/1	0.005	46	0.078
146/3	0.010	51/2/2	0.040
147/3	0.040	34/1	0.010
148/2	0.090	34/3	0.010
146/2	0.005	42	0.045
147/2	0.045	43	0.040
368/1	0.025	50	0.013
368/2	0.020	68	0.013
369	0.065	41/2	0.065
371/1	0.078	76/2	0.025
341/2/4	0.026		

(1)	(2)	(1)	(2)
62/1	0.100	751/2	0.026
75/2	0.012	750	0.065
721/2/1	0.015	751/1	0.020
61/1	0.060	767	0.013
63	0.266	769	0.015
140/3/1	0.119	कुल रकबा . .	<u>3.734</u>
140/3/2	0.119		
140/3/3	0.119		
141	0.026		
142	0.052		
149	0.065	9/1	0.120
152	0.318	9/3/1	0.053
159/2	0.053	9/4	0.025
554/1/4	0.065	7/1	0.025
160/2	0.065	7/2	0.025
740/2	0.318	2	0.101
554/1/2	0.052	17	0.038
554/1/1	0.039	476	0.038
554/3	0.052	305/3/2/1	0.015
641	0.126	305/3/3	0.030
644/1	0.050	307/1/2/1	0.038
644/2	0.050	307/1/2/2	0.038
644/3	0.050	430	0.038
718	0.013	429	0.038
639	0.078	427	0.038
646	0.078	423/1	0.051
650	0.091	314/1	0.033
717/2	0.025	321/1	0.051
531	0.013	311/1/2	0.025
651/1/1/1	0.013	314/2/2	0.051
651/1/1/2	0.013	416/1/1	0.013
651/1/2	0.026	317	0.038
651/2	0.013	318	0.038
532	0.025	311/1/3	0.051
652	0.039	320	0.019
683/3	0.039	416/1/2	0.013
683/4	0.039	422/1/2	0.025
738	0.191	कुल रकबा . .	<u>1.068</u>
740/1/1	0.032		
740/1/2	0.033		
743	0.013		
741/1	0.026	263	0.051
730/1	0.052	265	0.051
741/2/2	0.015	262	0.063

## ग्राम—ढाबला

## कुल रकबा . .

## ग्राम—पनवाडी

(1)	(2)	(1)	(2)
266/1	0.038	382	0.063
269/2	0.013	411/1	0.076
266/3	0.038	330	0.076
269/3	0.013	381	0.076
266/2	0.038	412/4	0.076
269/1	0.013	412/1	0.065
256	0.126	299/2	0.006
276/1	0.038	300/2	0.007
276/2/1	0.019	412/2	0.013
276/2/2	0.019	373/3/2	0.051
277/1	0.038	378/2	0.013
277/2	0.038	413/2	0.025
278/1	0.015	373/3/1	0.038
279	0.020	413/1	0.025
280	0.030	373/2	0.101
284	0.009	329	0.013
253/3	0.018	290/1	0.006
253/1	0.018	291	0.013
253/2	0.018	327	0.038
251	0.025	308	0.038
250/5	0.019	306	0.038
250/4	0.019	307	0.051
250/3	0.019	303	0.076
250/2	0.019	305/3	0.025
250/1	0.019	299/3	0.006
566/2/2/1	0.089	300/5	0.007
585/1/2	0.020	299/4	0.006
585/1/1	0.020	300/5	0.007
588	0.038	305/1	0.013
587	0.225	326	0.013
592	0.038	290/2	0.006
609/2	0.013	292	0.063
593	0.038	293	0.025
609/1	0.078	296	0.013
601/1	0.013	412/3	0.013
599/2	0.089	414/2	0.076
602	0.038	414/1/2	0.038
603/3	0.051		
कुल रकबा . .	1.594	कुल रकबा . .	2.037
ग्राम—कंडारा कोटरी		ग्राम—पीपल्याबिरम	
390/1	0.006	16	0.117
388	0.405	15	0.065
387	0.332		

(1)	(2)	(1)	(2)
113	0.065	511/3	0.065
659	0.051	511/4	0.065
14	0.065	513	0.013
88/1	0.051	514	0.117
91/1	0.025	517	0.253
114/2	0.025	516	0.151
10	0.013	522	0.117
18	0.025	523	0.151
88/2	0.025	524	0.104
91/2	0.013	525	0.091
664/2	0.013	491	0.126
87/1	0.013		कुल रकबा . . . 3.516
88/3	0.025		
89/1	0.038		ग्राम—कोटरी कलां
118/1	0.091	596	0.151
661	0.038	669	0.038
87/2	0.038	599	0.104
88/4	0.025	605	0.126
118/2	0.038	84	0.190
657	0.013	229/2/1	0.065
87/3/1	0.059	85	0.013
88/5/1	0.013	600	0.091
118/3/1	0.078	608/1	0.091
22/1	0.065	608/2	0.025
86/1	0.078	609/1	0.126
114/1	0.013	601/3	0.139
658/1	0.013	601/5/1/2	0.190
112	0.013	627/1	0.013
19	0.013	627/3	0.052
22/2	0.025	629/1/2	0.013
658/2	0.013	705/2	0.013
85/3	0.013	626/3	0.025
21	0.038	603/2/1	0.013
86/2	0.091	626/1	0.013
656	0.025	626/2/1	0.013
651/1	0.051	629/2	0.065
651/2	0.013	629/3	0.026
647/1	0.151	601/5/1/1	0.065
648	0.151	627/3/1	0.026
505/1	0.126	629/1/1	0.013
507	0.104	719/1/1	0.013
508	0.278	603/2/2	0.026
511/1	0.078	671	0.038
511/2	0.164	719/3	0.013

(1)	(2)	(1)	(2)
719/2	0.013	786/3	0.091
719/1	0.013	232/2	0.013
744/1	0.013	227	0.013
796	0.013	795/2	0.013
798/1	0.091	797	0.013
802	0.025	803	0.038
798/2	0.091	721	0.078
794/2	0.065	739	0.013
794/1	0.038	738	0.013
795/1	0.078	737/1	0.038
790	0.126	786/2	0.051
862/2	0.038	772	0.038
862/1	0.013	770/1	0.038
228/1	0.038	कुल रकबा . .	<u>4.328</u>
204	0.038		
93/2	0.013		
786/1	0.051		
21/2	0.126	529	0.038
92/1	0.013	528	0.065
251/2	0.019	554/2	0.091
253/1	0.026	531/1	0.025
94/1	0.013	531/2	0.065
250/1	0.126	526	0.126
94/2	0.013	535	0.091
95	0.065	527	0.065
96/2	0.065	522/1	0.078
259/1	0.038	536	0.013
97	0.026	522/2	0.240
89/2	0.126	538/3	0.091
235/2/1	0.091	521/1	0.104
89/1	0.006	521/2	0.013
247	0.065	558/1	0.151
31/4	0.078	556	0.126
31/5	0.038	554/1	0.318
31/3	0.038	कुल रकबा . .	<u>1.720</u>
23/1	0.013		
21/7	0.038		
21/6	0.038		
21/4	0.026		
21/5	0.038		
259/3	0.065		
259/2	0.013		
259/4	0.091		
260	0.126		

## ग्राम—बोरखेड़ा

उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बोड़ा से बोरखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहण की जाने वाली उक्त भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 10387-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—नरसिंहगढ़

(ग) नगर/ग्राम—जामोन्या गोपचौहान, मानपिछड़ी, झाड़ला, आवली, कोटरी कलां.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.315 हेक्टर.

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम—जामोन्यागोप चौहान

12 0.051

398 0.051

कुल रकबा . . . 0.102

ग्राम—मान पिछड़ी

1 0.079

2/1/1 0.101

212/5 0.065

3/2 0.077

3/9 0.089

141/3 0.064

135/22 0.278

136/20 0.101

22/2 0.228

219/2 0.139

कुल रकबा . . . 1.221

ग्राम—झाड़ला

527 0.190

524/2 0.357

524/1 0.164

542 0.253

540 0.126

(1)

(2)

509

0.190

508

0.025

507

0.417

567/4

0.380

576/2

0.190

608/1

0.126

606/2

0.126

581/1

0.291

581/2

0.291

593/1

0.177

593/2

0.177

594/1

0.177

594/2

0.126

597

0.038

737

0.038

736

0.064

606/1

0.318

352

0.025

कुल रकबा . . . 4.266

ग्राम—आवली

271

0.215

272

0.190

275/1

0.064

274

0.215

394/359

0.038

360

0.078

277

0.013

305

0.038

279/1

0.013

304

0.139

303/4

0.228

303/3

0.151

303/2

0.078

202/2

0.112

कुल रकबा . . . 1.572

ग्राम—कोटरी कलां

1679

0.190

1686/1

0.443

1686/2

0.215

1681

0.126

(1)	(2)
1700/2/1	0.013
1701/1	0.038
1701/3	0.013
1638/1	0.139
1637/11	0.013
1638/2	0.089
1637/1	0.013
1637/4	0.089
1637/2	0.051
1637/5	0.025
1637/3	0.025
1637/6	0.025
1637/7	0.038
1637/8	0.013
1637/10	0.013
1705	0.113
1636/2	0.013
1499	0.078
1490/3	0.013
1501/2	0.392
1501/1	0.252

कुल रकबा . . . 2.432

उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है जामोन्था से कोटरी कलां मार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहण की जाने वाली उक्त भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
धार, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. 465-भू-अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—सुलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.253 हेक्टर.

सर्वे नं.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

201

0.253

(2) उक्त सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सरदार सरोवर परियोजना अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में डूब से प्रभावित होने के कारण भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना संभाग-2 धरमपुरी जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

प्र.क्र.-01-अ-82-2012-13-करमाखेड़ी-1022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना

(ख) तहसील—राधौगढ



- (ग) नगर/ग्राम—करमाखेडी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.587 हेक्टेयर एवं परिसम्पत्तियां.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)	परिसम्पत्तियां
(1)	(2)	(3)
12/2	0.023	-
17	0.041	कुआ-1 पक्का, तथा फलदार वृक्ष-15
18	0.523	टीन शेड ई कुआ-1 पक्का, तथा फलदार वृक्ष-15 की दीवाल का बना हुआ एवं फलदार वृक्ष-03

योग . . . 0.587

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुना-रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ़ तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र.-02-अ-82-2012-13-गोरा-1024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
(क) जिला—गुना	
(ख) तहसील—राघौगढ़	
(ग) नगर/ग्राम—गोरा	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.921 हेक्टेयर.	
74/2	0.053
75	0.314
76	0.226
78/1	0.232
78/5	0.039
78/3	0.047
205	0.010
योग . . .	<u>0.921</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुना रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ़ तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र.-18-अ-82-2011-12-सूरजपुरा-1020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—गुना  
(ख) तहसील—मक्सूदनगढ़  
(ग) नगर/ग्राम—सूरजपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.731 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15	0.052
13/1	0.010
13/2	0.157
22/1	0.105
23/4	0.042
24	0.010
25	0.063
26	0.073
12	0.073
47/1	0.047
21	0.021
14/5	0.078
योग . . .	<u>0.731</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मक्सूदनगढ़ बायपास रोड निर्माण.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2012

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. रा.-12-13-347.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु करेली शुगर मिल प्रा. लि., करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	नरसिंहपुर/करेली	फैक्ट्री गेट / मेरेगांव	124	5856.47
2	नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा	पुरगावां / मेरेगांव	82	4846.13
3	नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा	फैक्ट्री गेट	92	1234.31
4	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्री गेट	13	310.50
योग . .			311	12247.41

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे।

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

करेली शुगर मिल प्रा. लि.

गन्ना क्षेत्र आरक्षण

पिराई सत्र 2012-13

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

तहसील करेली

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	क्षेत्र की कारखाने से दूरी (3)	परिवहन का साधन (4)	प.ह.नं. (5)	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र (हे. में) (9)	उत्पादन 50 टन प्रति हे. (10)	पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना हे. में वर्ष 2012-13 में (11)	क्रय केन्द्र का नाम (12)
					रोपा 11-12 में (6)	जड़ी 10-11 में (7)	मड़ी 09-10 में (8)				
1	कुम्पोडा	35	ट्रक, ट्रैक्टर	2क	13.00	7.00	13.00	33.00	50.00	8.00	
2	खमरिया	40	—''—	2क	3.00	2.50	1.00	6.50	—''—	0.80	
3	गुडवारा	38	—''—	2क	1.50	1.50	1.00	4.00	—''—	0.50	
4	रीछई	39	—''—	2क	7.50	15.20	7.00	29.70	—''—	15.00	
5	वगदरी	35	—''—	4	1.50	1.00	0.50	3.00	—''—	0.50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	बम्होरी	20	ट्रक, ट्रेक्टर	4	4.50	3.50	2.00	10.00	50.00	2.00	
7	बीतली	28	—''—	4	8.00	6.00	3.00	17.00	—''—	14.00	
8	सगरी	26	—''—	4	5.00	5.00	2.00	12.00	—''—	3.00	
9	मिढली	25	—''—	5	13.00	10.00	2.20	25.20	—''—	10.00	
10	हिरनपुर	28	—''—	5	16.00	8.00	6.20	30.20	—''—	16.00	
11	सिलवानी	25	—''—	5	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.30	
12	कुडी	24	—''—	6	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.30	
13	मोथेगाव	15	—''—	6	5.00	5.00	2.30	12.30	—''—	0.70	
14	मानेगाँव	13	—''—	6	2.00	2.00	0.50	4.50	—''—	0.50	
15	धरमपुरी	25	—''—	6	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	1.00	
16	गुरसी	22	—''—	7	1.00	1.50	0.50	3.00	—''—	0.50	
17	गोकला	23	—''—	7	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.50	
18	विचुआ	27	—''—	7	12.00	10.00	2.00	24.00	—''—	3.00	
19	समनापुर	30	—''—	7	30.00	24.00	6.00	60.00	—''—	24.00	
20	रमपुरा	29	—''—	7	10.00	14.43	3.20	27.63	—''—	14.50	
21	खैरी	13	—''—	12	46.00	35.42	5.00	86.42	—''—	20.60	मेरेगांव
22	खैरूआ	15	—''—	12	9.00	7.00	2.00	18.00	—''—	9.50	मेरेगांव
23	गुरासिया	27	—''—	12	2.00	2.50	1.50	6.00	—''—	1.50	
24	पिपरिया	13	—''—	12	50.00	37.62	8.00	95.62	—''—	44.20	मेरेगांव
25	महलपुरा	10	—''—	12	3.00	2.85	2.00	7.85	—''—	3.00	
26	मेरेगांव	15	—''—	12	4.00	3.50	2.50	10.00	—''—	3.80	मेरेगांव
27	रेवानगर	22	—''—	12	6.80	5.00	4.00	15.80	—''—	2.50	मेरेगांव
28	लुटवारा	17	—''—	12	1.50	1.50	1.00	4.00	—''—	0.50	
29	खला	25	—''—	3	1.00	3.00	2.00	6.00	—''—	0.30	
30	पलोहा	26	—''—	3	11.50	13.00	3.00	27.50	—''—	20.00	
31	पिंडरई खुर्द	29	—''—	3	3.00	4.00	2.00	9.00	—''—	0.70	
32	पिंडरई कला	28	—''—	3	3.00	2.80	1.20	7.00	—''—	0.80	
33	अम्हेटा	10	—''—	21	78.00	50.21	6.00	134.21	—''—	30.00	
34	करौंदा	12	—''—	21	3.00	2.50	1.50	7.00	—''—	1.20	
35	खिरिया	7	—''—	21	10.00	8.81	1.00	19.81	—''—	14.50	
36	बीनेर	8	—''—	21	22.00	16.50	6.50	45.00	—''—	16.50	
37	मोहद	6	—''—	21	119.00	112.21	40.00	271.21	—''—	135.00	
38	आमगाँव	8	—''—	22	153.00	128.39	30.00	311.39	—''—	160.00	
39	वधुवार	5	—''—	22	126.00	85.00	30.00	241.00	—''—	130.00	
40	बम्होरी	12	—''—	22	55.00	45.00	12.00	112.00	—''—	47.00	
41	करेली	5	—''—	17	295.00	235.81	102.00	632.81	—''—	480.00	
42	कठोतिया	8	—''—	16	147.00	113.21	40.00	300.21	—''—	152.00	
43	जनौर	9	—''—	16	40.00	35.00	18.00	93.00	—''—	20.00	
44	पिपरिया	11	—''—	14	102.00	100.00	8.00	210.00	—''—	151.50	
45	बसेडी	10	—''—	14	11.00	9.29	5.00	25.29	—''—	2.50	
46	राकई	12	—''—	14	116.00	104.00	30.00	250.00	—''—	70.00	
47	कुम्हडी	14	—''—	15	16.00	14.50	3.70	34.20	—''—	2.50	
48	खैरी	12	—''—	15	13.00	12.21	3.00	28.21	—''—	14.50	
49	रामपिपरिया	15	—''—	15	10.00	7.00	3.10	20.10	—''—	2.50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
50	सुरंगी	18	ट्रक, ट्रेक्टर	15	4.40	4.00	0.50	8.90	50.00	6.00	
51	कंधरापुर	20	—''—	20	13.00	16.00	16.00	45.00	—''—	2.00	
52	करहैया	25	—''—	20	2.00	2.60	0.00	4.60	—''—	1.00	
53	कोसमखेडा	25	—''—	20	50.30	40.49	15.21	106.00	—''—	8.50	
54	कौडिया	13	—''—	20	2.50	2.50	1.00	6.00	—''—	0.50	
55	जल्लापुर	25	—''—	20	17.00	15.00	3.81	35.81	—''—	3.00	
56	पिपरिया	14	—''—	20	23.00	21.00	2.00	46.00	—''—	3.00	
57	विचुआ खुर्द	22	—''—	20	4.00	3.50	1.50	9.00	—''—	1.00	
58	विचुआ कला	21	—''—	20	3.50	3.00	0.50	7.00	—''—	3.00	
59	बेलखेडी	28	—''—	20	4.00	2.60	1.21	7.81	—''—	0.40	
60	जीरागोरा	27	—''—	24	0.90	0.61	0.00	1.51	—''—	0.50	
61	दिल्हेरी	20	—''—	24	1.60	1.00	0.40	3.00	—''—	1.00	
62	नयाखेडा	15	—''—	24	90.00	64.00	26.00	180.00	—''—	75.00	
63	करहैया	20	—''—	24	1.40	1.60	1.00	4.00	—''—	0.50	
64	बासादेही	16	—''—	24	25.00	23.00	11.00	59.00	—''—	6.00	
65	इमलिया	6	—''—	24	6.00	7.00	3.00	16.00	—''—	5.00	
66	कोदसा	9	—''—	13	96.00	85.00	35.00	216.00	—''—	35.00	मेरेगांव
67	गोंगावली	7	—''—	13	20.00	16.00	13.00	49.00	—''—	10.00	
68	जौहरिया	6	—''—	13	16.50	14.50	5.00	36.00	—''—	10.00	
69	देगँवा	10	—''—	13	3.00	2.40	0.00	5.40	—''—	0.50	
70	बसखेडा	10	—''—	13	10.00	11.62	3.38	25.00	—''—	14.20	
71	बासादेही	7	—''—	13	28.00	27.40	5.00	60.40	—''—	21.00	
72	करताज	26	—''—	19	45.00	36.00	6.50	87.50	—''—	4.00	
73	कपुरी	32	—''—	19	48.00	44.60	16.00	108.60	—''—	8.00	
74	गौडी	19	—''—	19	1.00	0.60	0.00	1.60	—''—	0.30	
75	तिघरा	18	—''—	19	1.00	0.60	0.60	2.20	—''—	0.30	
76	पिपरिया	22	—''—	19	3.00	2.80	1.00	6.80	—''—	0.80	
77	रैहली	21	—''—	19	17.40	10.60	7.00	35.00	—''—	5.00	
78	खापा	24	—''—	26	1.00	1.00	1.00	3.00	—''—	0.40	
79	नानौरी	15	—''—	26	2.50	2.00	1.00	5.50	—''—	1.20	
80	निवारी	17	—''—	26	13.00	10.50	4.00	27.50	—''—	3.00	
81	विचुआ कला	19	—''—	26	3.00	2.00	2.00	7.00	—''—	0.50	
82	महगुँवा	15	—''—	26	19.00	7.90	2.10	29.00	—''—	0.50	
83	रमखिरिया	20	—''—	27	6.00	5.00	2.00	13.00	—''—	3.00	
88	हिनौतिया	28	—''—	27	3.10	2.90	1.00	7.00	—''—	0.50	
85	माचामउ	13	—''—	27	1.50	1.50	1.00	4.00	—''—	0.40	
86	गोवरगाँव	10	—''—	23	40.00	30.80	11.20	82.00	—''—	40.50	
87	तिन्सरा	15	—''—	23	28.00	20.60	2.00	50.60	—''—	15.00	
88	पिपरिया	15	—''—	23	38.00	27.00	12.00	77.00	—''—	10.50	
89	बरौदिया	15	—''—	23	30.00	16.00	7.00	53.00	—''—	10.50	
90	सिमरिया खुर्द	11	—''—	23	17.60	12.00	6.00	35.60	—''—	15.00	
91	सिमसिया कला	12	—''—	23	13.00	11.00	3.80	27.80	—''—	11.80	
92	मिधवानी	8	—''—	18	28.00	21.00	7.00	56.00	—''—	23.50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
93	सासबहू	12	ट्रक, ट्रेक्टर	18	65.00	47.00	16.00	128.00	50.00	55.00	
94	जोवा	7	—''—	18	58.00	38.00	12.00	108.00	—''—	58.20	
95	भुगवारा	7	—''—	18	95.00	79.00	26.00	200.00	—''—	100.00	
96	चमरूआ	10	—''—	18	2.20	1.80	1.00	5.00	—''—	1.20	
97	अमथनू	30	—''—	1	1.00	1.00	0.00	2.00	—''—	0.30	
98	सुआतला	28	—''—	1	5.00	5.50	2.50	13.00	—''—	1.20	
99	बम्हनी	40	—''—	1	0.40	0.00	0.60	1.00	—''—	0.30	
100	रहली	33	—''—	1	0.90	1.10	0.00	2.00	—''—	0.20	
101	पिपरिया		—''—	2ख	0.50	0.50	0.50	1.50	—''—	0.20	
102	लुहारी		—''—	5	3.00	2.40	1.00	6.40	—''—	0.30	
103	बरमान	21	—''—	6	0.50	1.00	0.00	1.50	—''—	0.30	
104	बीकोर	28	—''—	6	0.60	0.90	0.00	1.50	—''—	0.30	
105	केरपानी	128	—''—	8	2.00	2.00	0.50	4.50	—''—	0.30	
106	खमरिया		—''—	8	1.00	2.10	0.00	3.10	—''—	0.20	
107	चिनकी	40	—''—	9	2.00	2.00	1.00	5.00	—''—	0.20	
108	समनापुर	26	—''—	9	60.00	46.18	32.00	138.18	—''—	6.00	
109	मेहंगोंवा		—''—	9	7.00	7.00	2.00	16.00	—''—	0.50	
110	धूरपुर	28	—''—	9	7.50	6.00	2.00	15.50	—''—	0.30	
111	उमरिया	26	—''—	10	29.00	19.00	10.00	58.00	—''—	8.20	
112	पिपरहा	27	—''—	10	4.00	4.00	2.00	10.00	—''—	0.50	
113	मोहद	30	—''—	10	3.00	3.00	1.00	7.00	—''—	0.50	
114	रातीकरार कला	22	—''—	11	6.00	6.00	2.00	14.00	—''—	5.20	
115	देवरी खुर्द	15	—''—	11	4.00	4.50	2.00	10.50	—''—	0.30	
116	रातीकरार खुर्द		—''—	11	10.00	8.00	2.00	20.00	—''—	6.00	
117	देवाकछार	12	—''—	11	17.00	13.00	6.00	36.00	—''—	3.00	
118	बारहा	15	—''—	11	15.50	10.50	4.00	30.00	—''—	15.00	
119	केरपानी	28	—''—	25	2.00	2.00	1.00	5.00	—''—	0.30	
120	खिरिया		—''—	25	1.10	0.90	0.00	2.00	—''—	0.50	
121	बसौदा	13	—''—	25	1.00	1.00	0.00	2.00	—''—	1.00	
122	हरदगाव	17	—''—	25	3.60	2.40	1.00	7.00	—''—	1.00	
123	ग्वारी	17	—''—	25	4.00	3.00	1.00	8.00	—''—	0.30	
124	महलवाडा	36	—''—	20	1.00	1.00	1.00	3.00	—''—	0.20	
124	ग्राम		योग . .		2792.80	2276.16	798.51	5856.47		2282.20	

## तहसील गाडरवारा

1	गोरास	14	ट्रक, ट्रेक्टर	73	20.00	19.00	3.00	42.00	50.00	18.00	
2	मडेसुर	11	—''—	73	76.00	76.00	8.00	160.00	—''—	59.00	
3	मोथेगांव	14	—''—	73	13.00	11.00	3.00	27.00	—''—	10.40	
4	छवारा	15	—''—	73	6.00	5.00	1.50	12.50	—''—	3.00	
5	कामती	15	—''—	75	58.00	40.00	14.00	112.00	—''—	47.00	
6	कुंदुआखेडा	20	—''—	75	3.00	2.50	3.00	8.50	—''—	2.10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	गरहा	20	ट्रक, ट्रैक्टर	75	85.00	73.50	31.50	190.00	50.00	40.00	
8	निजोर	13	—''—	75	60.00	49.50	15.50	125.00	—''—	30.00	
9	अंजसरा	20	—''—	75	8.00	5.00	7.00	20.00	—''—	8.00	
10	कुम्हीडाबर	18	—''—	74	8.00	14.00	5.00	27.00	—''—	12.00	
11	झमरी	9	—''—	74	10.00	8.00	5.00	23.00	—''—	11.00	
12	कौडिया	6	—''—	74	15.00	22.00	0.00	37.00	—''—	10.00	
13	झामर	8	—''—	74	24.00	22.00	4.00	50.00	—''—	17.00	
14	भूतपिपरिया	5	—''—	74	30.00	28.00	9.00	67.00	—''—	32.50	
15	रमखिरिया	5	—''—	74	50.00	47.00	15.00	112.00	—''—	50.00	
16	सिमरिया	10	—''—	79	33.00	27.00	10.00	70.00	—''—	37.50	
17	खंचारी	10	—''—	79	60.00	59.00	19.00	138.00	—''—	76.00	
18	करपगांव	7	—''—	80	248.00	228.00	84.00	560.00	—''—	320.00	
19	देगवां	12	—''—	80	35.00	35.00	10.00	80.00	—''—	47.00	
20	मेहगांव	15	—''—	80	4.50	4.50	1.00	10.00	—''—	2.00	
21	सर्रा	15	—''—	80	11.00	11.50	2.50	25.00	—''—	1.50	
22	बटेसरा	3	—''—	81	70.00	61.00	19.00	150.00	—''—	80.00	
23	कनवास	8	—''—	81	47.00	41.00	5.00	93.00	—''—	27.00	
24	कांकरकुईआ	20	—''—	81	0.50	0.50	0.00	1.00	—''—	0.30	
25	खमरिया	10	—''—	81	52.00	38.00	10.00	100.00	—''—	20.00	
26	चीकसा	10	—''—	81	37.00	33.00	10.00	80.00	—''—	28.00	
27	बंदेसुर	5	—''—	81	60.00	44.00	16.00	120.00	—''—	77.00	
28	शाहपुर	10	—''—	82	130.00	105.50	30.00	265.50	—''—	150.00	
29	बघौरा	14	—''—	82	30.00	22.00	8.00	60.00	—''—	14.00	
30	भिन्डवार	17	—''—	82	10.00	7.50	7.50	25.00	—''—	3.50	
31	रामखेडी	11	—''—	82	50.00	40.00	20.00	110.00	—''—	35.00	
32	सलगापुर	15	—''—	82	1.00	0.00	0.50	1.50	—''—	0.20	
33	इमलिया	17	—''—	83	27.00	24.00	9.00	60.00	—''—	27.00	
34	हथनापुर	21	—''—	83	2.00	0.00	1.00	3.00	—''—	0.20	
35	हिरदेपुर	15	—''—	83	1.00	1.00	0.00	2.00	—''—	0.50	
36	विजनपुर	22	—''—	84	13.00	10.00	3.00	26.00	—''—	18.50	
37	भूमियाघाट		—''—	84	0.50	0.50	0.50	1.50	—''—	0.20	
38	जेथारी	31	—''—	84	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.30	
39	धमेटा	20	—''—	84	8.00	3.00	4.00	15.00	—''—	8.00	
40	सलैया	21	—''—	84	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	1.00	
41	सिलेटी	32	—''—	85	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.30	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
42	खडई	33	ट्रक, ट्रेक्टर	85	8.00	15.00	2.00	25.00	50.00	3.00	
43	निघौरा	33	—''—	85	1.00	1.00	0.00	2.00	—''—	0.30	
44	पिपरिया	34	—''—	85	0.60	0.60	0.30	1.50	—''—	0.50	
45	विलौनी	19	—''—	70	15.00	15.00	6.50	36.50	—''—	4.60	
46	मानखेडा	20	—''—	70	5.00	3.50	5.00	13.50	—''—	0.30	
47	रीछा	20	—''—	70	10.00	8.50	4.71	23.21	—''—	3.00	
48	समारिया	16	—''—	70	7.00	6.00	2.50	15.50	—''—	3.00	मेरेगांव
49	बेलखेड़ी	15	—''—	70	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.90	
50	इमझिरी	21	—''—	70	35.00	27.00	8.00	70.00	—''—	38.00	
51	छीतापुर	20	—''—	72	54.00	39.00	22.00	115.00	—''—	35.00	
52	खामघाट	20	—''—	72	1.00	1.00	1.00	3.00	—''—	0.50	मेरेगांव
53	लिंगा	19	—''—	72	2.50	1.00	2.50	6.00	—''—	0.50	
54	बरमान	16	—''—	72	1.00	1.00	1.00	3.00	—''—	0.60	
55	कुसम्ही	21	—''—	68	24.00	14.50	12.00	50.50	—''—	18.00	
56	ढोडोकेसला	25	—''—	69	0.50	0.50	0.50	1.50	—''—	0.20	
57	बडियाघाट	22	—''—	69	15.00	9.50	10.50	35.00	—''—	5.20	मेरेगांव
58	उमरपानी	17	—''—	71	35.00	22.50	12.50	70.00	—''—	22.50	मेरेगांव
59	खुरसुरू	15	—''—	71	25.00	20.00	5.00	50.00	—''—	35.00	मेरेगांव
60	सिंगोटा	15	—''—	71	33.00	25.00	12.00	70.00	—''—	23.20	मेरेगांव
61	रायपानी	18	—''—	71	6.00	4.00	3.00	13.00	—''—	4.70	
62	बीतली	18	—''—	71	4.50	3.00	1.50	9.00	—''—	2.50	
63	बम्होरी	20	—''—	65	12.00	7.00	8.00	27.00	—''—	11.50	
64	बुधवारा	22	—''—	66	12.00	7.00	11.00	30.00	—''—	13.00	
65	बरांझ	20	—''—	75	14.00	10.00	8.00	32.00	—''—	17.50	पुरगवां
66	दुठी	15	—''—	76	55.00	37.00	20.00	112.00	—''—	46.00	पुरगवां
67	पुरगवां	16	—''—	76	60.00	54.00	12.00	126.00	—''—	35.00	पुरगवां
68	सीहोरा	18	—''—	76	26.00	22.70	11.30	60.00	—''—	5.50	
69	हरई	19	—''—	76	15.00	11.00	9.00	35.00	—''—	3.50	पुरगवां
70	दुधवारा	20	—''—	76	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.80	
71	खुलरी	21	—''—	67	24.21	22.50	10.50	57.21	—''—	30.00	पुरगवां
72	टेकापार	19	—''—	67	15.00	22.00	8.50	45.50	—''—	7.00	पुरगवां
73	मुड़िया	22	—''—	67	1.00	1.00	0.00	2.00	—''—	1.00	
74	कल्यानपुर	20	—''—	68	76.00	76.50	27.50	180.00	—''—	30.00	
75	बाम्हनवाडा	17	—''—	78	17.50	12.50	5.50	35.50	—''—	20.00	पुरगवां
76	इमलिया	15	—''—	78	9.00	4.50	3.50	17.00	—''—	6.50	
77	जमनिया	20	—''—	78	0.50	0.50	0.50	1.50	—''—	0.40	पुरगवां
78	माल्हनवाड़ा	10	—''—	10	60.00	50.00	20.00	130.00	—''—	50.00	पुरगवां
79	नारगी	11	—''—	11	60.21	48.00	22.00	130.21	—''—	46.00	पुरगवां
80	पनारी	13	—''—	13	54.00	50.00	21.00	125.00	—''—	43.00	पुरगवां
81	बांसखेड़ा	12	—''—	14	9.00	8.00	8.00	25.00	—''—	5.00	पुरगवां
82	टिकटोली	20	—''—	20	16.00	11.00	13.00	40.00	—''—	18.00	
योग . .					2221.02	1896.30	728.81	4846.13		1916.20	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
तहसील तेन्दूखेड़ा											
1	रोंसरा	22	ट्रक, ट्रेक्टर	8	2.50	1.50	1.00	5.00	50.00	1.10	
2	इमझिरा	24	—''—	14	3.00	2.00	1.71	6.71	—''—	2.50	
3	ईश्वरपुर	35	—''—	14	14.00	10.00	6.50	30.50	—''—	17.50	
4	तेन्दूखेड़ा	40	—''—	15	2.00	2.00	1.00	5.00	—''—	1.00	
5	उमरपानी	13	—''—	15	5.00	4.00	1.21	10.21	—''—	2.00	
6	कठोटिया	18	—''—	15	1.50	1.50	0.50	3.50	—''—	0.80	
7	कूडा	19	—''—	15	2.50	2.00	0.50	5.00	—''—	1.00	
8	जैतपुर	40	—''—	15	1.50	1.50	1.00	4.00	—''—	0.60	
9	खैरुआ	18	—''—	16	2.00	1.00	0.50	3.50	—''—	0.50	
10	मदनपुर	45	—''—	16	4.50	5.50	1.00	11.00	—''—	0.60	
11	देवरी	25	—''—	16	1.50	1.50	0.50	3.50	—''—	0.50	
12	बिचुआ	40	—''—	16	14.00	14.00	12.00	40.00	—''—	16.00	
13	धैरा	28	—''—	16	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.30	
14	कोटखेडी	35	—''—	3	1.00	0.00	0.50	1.50	—''—	0.30	
15	घूघरी	30	—''—	3	0.50	0.50	0.50	1.50	—''—	0.30	
16	मूढापार	35	—''—	3	1.00	1.00	1.00	3.00	—''—	0.20	
17	रमपुरा	38	—''—	3	16.00	16.00	4.21	36.21	—''—	18.00	
18	परासिया	17	—''—	3	1.50	1.50	0.00	3.00	—''—	0.30	
19	धूपखेड़ा	28	—''—	3	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.30	
20	हथिनी	35	—''—	4	1.50	0.50	0.50	2.50	—''—	0.20	
21	जुआरी	30	—''—	4	1.00	0.00	1.00	2.00	—''—	0.20	
22	जूडा	35	—''—	4	1.00	0.50	0.50	2.00	—''—	0.20	
23	पीपरवानी	48	—''—	4	1.00	0.50	0.50	2.00	—''—	0.30	
24	बडिया	30	—''—	4	1.21	0.00	1.00	2.21	—''—	0.20	
25	चौकी	32	—''—	5	0.50	0.50	0.50	1.50	—''—	0.20	
26	जगन्नाथपुर	26	—''—	5	1.00	0.50	0.50	2.00	—''—	0.20	
27	महगुर्वा	31	—''—	5	20.00	16.00	12.71	48.71	—''—	24.00	
28	बिलहरा	32	—''—	6	9.00	7.00	2.21	18.21	—''—	10.00	
29	मानपुर	40	—''—	6	1.00	0.50	0.50	2.00	—''—	0.20	
30	चरगुवा	38	—''—	6	1.00	0.50	0.50	2.00	—''—	0.30	
31	चिलका	25	—''—	11	9.00	7.00	2.00	18.00	—''—	8.00	
32	दमोहिया	30	—''—	11	9.00	8.00	3.50	20.50	—''—	5.00	
33	महगँवा	35	—''—	11	8.00	5.00	4.00	17.00	—''—	6.00	
34	इमलिया	38	—''—	11	4.00	3.00	1.50	8.50	—''—	1.70	
35	बंधा	40	—''—	11	20.00	25.00	8.00	53.00	—''—	20.00	
36	खैरी	35	—''—	12	12.21	17.00	7.00	36.21	—''—	10.00	
37	नौरंगपुर	32	—''—	12	24.00	24.00	12.00	60.00	—''—	17.50	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38	मेहंदा	36	ट्रक, ट्रेक्टर	12	9.50	9.50	4.00	23.00	50.00	13.00	
39	वरकुंडा	40	—''—	12	3.00	1.50	2.50	7.00	—''—	1.50	
40	बिलगुवां	42	—''—	13	3.00	0.00	2.50	5.50	—''—	3.00	
41	खमरिया	36	—''—	13	7.00	4.50	3.50	15.00	—''—	2.50	
42	करहैया	34	—''—	13	10.50	10.50	5.00	26.00	—''—	2.00	
43	इमझिरा	30	—''—	9	2.00	2.00	1.00	5.00	—''—	1.20	
44	काशीखैरी	35	—''—	9	40.00	36.00	14.50	90.50	—''—	25.00	
45	ढिगसरा	38	—''—	9	17.00	13.00	12.00	42.00	—''—	6.00	
46	बम्हौरी	40	—''—	9	8.00	4.00	6.21	18.21	—''—	3.00	
47	लोलरी	22	—''—	9	4.00	2.00	6.00	12.00	—''—	5.50	
48	सूखाढिगसरा	41	—''—	9	1.00	1.00	1.00	3.00	—''—	0.70	
49	डोभी	32	—''—	19	50.00	40.00	22.00	112.00	—''—	45.00	
50	छतरपुर	38	—''—	20	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	1.00	
51	खैरी खुर्द	40	—''—	20	10.00	10.00	5.00	25.00	—''—	13.00	
52	चौवरपाठा	25	—''—	10	15.00	13.00	10.00	38.00	—''—	21.00	
53	अंडिया	41	—''—	20	1.50	0.50	0.50	2.50	—''—	0.60	
54	इमलिया	38	—''—	21	2.00	1.00	2.00	5.00	—''—	0.60	
55	विष्णुपुर	40	—''—	10	8.00	2.50	5.71	16.21	—''—	8.00	
56	ढिलवार	42	—''—	1	1.00	0.50	0.50	2.00	—''—	0.30	
57	पीपरवानी	41	—''—	1	1.50	1.50	1.00	4.00	—''—	0.30	
58	महुआखेडा	45	—''—	1	0.50	0.50	0.50	1.50	—''—	0.20	
59	सगौनी	45	—''—	2	1.00	1.50	1.00	3.50	—''—	0.50	
60	छोतापार	35	—''—	2	1.00	1.00	1.00	3.00	—''—	0.60	
61	जामनपानी	38	—''—	2	1.50	1.00	0.50	3.00	—''—	0.30	
62	नाडिया	42	—''—	7	1.00	0.00	0.50	1.50	—''—	0.20	
63	गुटोरी	38	—''—	7	16.00	10.50	5.50	32.00	—''—	7.50	
64	झिकौली	40	—''—	7	0.50	0.50	1.00	2.00	—''—	0.30	
65	सिमरिया	45	—''—	7	5.00	3.00	4.00	12.00	—''—	0.30	
66	देवरी	42	—''—	8	20.00	16.00	9.00	45.00	—''—	30.00	
67	पडरिया	38	—''—	8	8.00	6.00	4.00	18.00	—''—	3.30	
68	सूमेरखेडा	37	—''—	8	7.00	0.00	4.00	11.00	—''—	2.50	
69	जमुनिया	37	—''—	8	6.00	6.00	5.00	17.00	—''—	6.00	
70	रूकवारा	36	—''—	4	9.00	12.00	5.00	26.00	—''—	8.00	
71	केसली	15	—''—	10	0.00	1.00	0.50	1.50	—''—	0.20	
72	बडियाघाट	18	—''—	10	15.00	6.00	9.00	30.00	—''—	12.00	
73	वरखेडा	20	—''—	10	3.00	1.00	1.21	5.21	—''—	1.00	
74	खुरपा	30	—''—	16	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.30	
75	ग्वारी	45	—''—	17	0.50	0.50	0.50	1.50	—''—	0.30	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
76	बंधी	35	ट्रक, ट्रेक्टर	17	1.50	1.00	0.50	3.00	50.00	0.50	
77	सर्रा	40	—''—	17	0.50	0.50	0.50	1.50	—''—	0.60	
78	काचरकोना	42	—''—	18	16.50	14.50	6.00	37.00	—''—	17.00	
79	टेकापार	35	—''—	18	1.00	0.50	0.50	2.00	—''—	1.20	
80	नैनावारी	45	—''—	20	1.00	0.50	0.50	2.00	—''—	0.20	
81	अनवारा	35	—''—	20	1.00	0.00	0.50	1.50	—''—	0.40	
82	करहैया	38	—''—	21	2.00	1.00	1.00	4.00	—''—	0.30	
83	वारहा	35	—''—	21	1.00	1.00	1.21	3.21	—''—	1.20	
84	सिमरिया कला	38	—''—	21	1.50	0.00	1.00	2.50	—''—	1.20	
85	बिलथारी	38	—''—	22	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.30	
86	कलहैडी	35	—''—	22	1.00	1.00	0.00	2.00	—''—	0.30	
87	भामा	38	—''—	23	2.00	1.50	1.50	5.00	—''—	0.50	
88	गंगई	37	—''—	23	1.00	1.50	1.00	3.50	—''—	0.40	
89	मनकापुर	39	—''—	23	4.00	4.00	1.00	9.00	—''—	0.30	
90	हीरापुर	40	—''—	24	1.00	0.50	0.50	2.00	—''—	0.30	
91	करैदी	42	—''—	24	1.00	2.00	1.00	4.00	—''—	0.30	
92	बीकोर		—''—	24	1.00	1.00	0.50	2.50	—''—	0.20	
योग . .					529.42	436.00	268.89	1234.31		419.90	

## तहसील नरसिंहपुर

1	नयाखेडा	44	ट्रक, ट्रेक्टर	7	24.00	20.00	6.10	50.10	50.00	2.50	
2	बम्होरी	38	—''—	7	8.40	4.00	1.00	13.40	—''—	1.50	
3	सागोनी खुर्द	46	—''—	8	19.50	15.00	5.80	40.30	—''—	18.00	
4	सागोनी कला	36	—''—	8	12.80	8.00	2.00	22.80	—''—	10.00	
5	गरगटा	38	—''—	8	5.40	4.00	4.10	13.50	—''—	1.50	
6	तिदेनी	23	—''—	9	4.20	2.00	1.00	7.20	—''—	1.50	
7	नंदवारा	35	—''—	16	10.80	8.00	2.00	20.80	—''—	7.00	
8	नरसिंहपुर	20	—''—	17	14.60	6.00	3.10	23.70	—''—	3.00	
9	देवरी कलॉ	10	—''—	18	21.60	16.00	6.00	43.60	—''—	11.00	
10	सिमरिया	17	—''—	29	7.60	6.00	1.00	14.60	—''—	1.50	
11	कुक्वारा	16	—''—	18	19.90	19.00	10.20	49.10	—''—	19.00	
12	डुडवारा	17	—''—		2.10	1.00	1.00	4.10	—''—	1.00	
13	दुराजपुर	24	—''—		3.30	3.00	1.00	7.30	—''—	2.50	
योग . .					154.20	112.00	44.30	310.50		80.00	

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-12-13-362.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बुरहानपुर	बुरहानपुर	24	749.9
2	बुरहानपुर	शाहपुर	16	101.8
3	बुरहानपुर	दर्यापुर	35	972.0
4	बुरहानपुर	खकनार	29	767.9
5	बुरहानपुर	तुकईथड	29	553.4
6	बुरहानपुर	हैदरपुर	33	1632.9
7	खण्डवा	पन्धना	19	183.5
8	खण्डवा	खण्डवा	21	65.8
9	खण्डवा	पुनासा	8	31.1
10	खण्डवा	छनेरा	8	37.0
			योग :	222
				5095.3

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

**नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित  
नवलनगर 450223, जिला बुरहानपुर (म. प्र.)**

**रक्षित क्षेत्र में ग्रामवार फसल प्रकारानुसार गन्ने का क्षेत्र**

अ.नं.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (हेक्टेयर में)			
				रोपा	जडी (दूरी)	तिरी	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	बुरहानपुर	बुरहानपुर					
1			बोरगांव खुर्द	41.600	40.500	25.200	107.300
2			बाडाबुजुर्ग	3.800	3.200	1.400	8.400
3			चिंचाला	4.800	1.000	0.000	5.800
4			ऐमागिर्द	3.600	3.700	2.400	9.700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5			फतेहपुर	24.100	13.600	8.800	46.500
6			लालबाग	0.300	0.000	0.000	0.300
7			रहीपुरा (बुरहानपुर)	5.400	10.600	0.000	16.000
			योग : बुरहानपुर	83.600	72.600	37.800	194.000
			बहादरपुर				
8			बहादरपुर	3.800	0.000	0.000	3.800
9			बिरोदा	1.200	1.600	0.000	2.800
10			बोहरडा	2.100	0.000	0.000	2.100
11			हतनूर	1.800	4.000	0.000	5.800
12			लोनी	0.000	1.200	0.000	1.200
13			मोहम्मदपुरा	5.500	2.300	4.500	12.300
			योग : बहादरपुर	14.400	9.100	4.500	28.000
			निम्बोला-अ				
14			बसाड़	9.000	2.600	0.000	11.600
15			मगरूल	44.000	48.000	14.000	106.000
16			मचलपुरा	5.000	8.400	4.400	17.800
17			निम्बोला	17.600	14.000	5.200	36.800
18			रहीपुरा (निम्बोला)	8.700	3.100	1.600	13.400
			योग : निम्बोला-अ	84.300	76.100	25.200	185.600
			निम्बोला-ब				
19			बोरी खुर्द	16.700	17.700	3.400	37.800
20			चुलखान	46.500	42.300	18.500	107.300
21			नसीराबाद	47.200	58.900	24.000	130.100
22			निम्ना	9.000	6.100	0.000	15.100
23			झिरी	12.000	13.000	6.300	31.300
24			झांझर	7.400	6.600	6.700	20.700
			योग : निम्बोला-ब	138.800	144.600	58.900	342.300
			योग : बुरहानपुर	321.100	302.400	126.400	749.900
	शाहपुर	शाहपुर					
25			भम्माडा	0.000	1.000	0.000	1.000
26			बक्खारी	0.800	1.300	0.000	2.100
27			बादखेड़ा (नाचनखेड़ा)	7.500	2.500	0.000	10.000
28			खामनी	0.800	0.000	0.000	0.800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29			नाचनखेडा	0.800	0.000	0.000	0.800
30			शाहपुर	8.500	6.000	0.000	14.500
31			सिरसोदा	4.100	4.800	0.000	8.900
32			नेर	4.500	0.000	0.000	4.500
			योग : शाहपुर	27.000	15.600	0.000	42.600
			फोपनार				
33			फोपनार	1.200	0.000	3.000	4.200
34			संग्रामपुर	0.000	1.000	0.400	1.400
35			तुरकगुराड़ा	1.000	2.200	0.000	3.200
			योग : फोपनार	2.200	3.200	3.400	8.800
			चापोरा				
36			अडगाँव	1.800	0.000	0.000	1.800
37			भोटा	4.600	1.600	1.000	7.200
38			धामनगाँव	0.900	7.800	3.300	12.000
39			इच्छापुर	11.100	10.500	1.700	23.300
40			वारोली	4.600	1.500	0.000	6.100
			योग : चापोरा	23.000	21.400	6.000	50.400
			योग : शाहपुर	52.200	40.200	9.400	101.800
	दर्यापुर	दर्यापुर					
41			बड़गाँव (गुलई)	4.000	5.500	2.500	12.000
42			दर्यापुर	39.100	40.800	0.900	80.800
43			जैनाबाद	69.200	71.400	18.600	159.200
44			खडकोद	5.000	8.200	1.600	14.800
45			टिटगाँवखुर्द	5.400	6.300	1.000	12.700
			योग : दर्यापुर	122.700	132.200	24.600	279.500
			बोदरली				
46			अंजनबडी	0.700	0.000	0.000	0.700
47			बडझीरी	3.700	3.900	0.000	7.600
48			डोंगरगाँव (बोदरली)	0.000	0.500	0.000	0.500
49			देव्हारी	0.000	1.300	0.000	1.300
50			जसौंदी	0.000	0.200	0.000	0.200
51			पिपलगाँव	1.100	0.800	0.000	1.900
52			तारापाटी	0.000	3.200	0.000	3.200
			योग : बोदरली	5.500	9.900	0.000	15.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		सारोला					
53		एकलारा		5.200	13.300	1.200	19.700
54		हनुमंतखेड़ा		11.200	11.800	0.100	23.100
55		सारोला		48.100	39.500	13.100	100.700
56		टिटगांवकला		22.700	38.400	1.300	62.400
57		उमरदा		22.600	16.100	3.000	41.700
		योग : सारोला		109.800	119.100	18.700	247.600
		अम्बाडा					
58		अम्बाडा		10.300	22.000	0.000	32.300
59		बाडाजैनाबाद		5.200	3.100	0.400	8.700
60		भानमोड़िया		0.000	0.700	0.800	1.500
61		देवरी		12.900	12.300	1.800	27.000
62		हिंगना		16.300	13.800	1.800	31.900
63		लिंगा		0.000	2.800	0.000	2.800
64		नेवरी		15.100	8.500	0.900	24.500
65		सांडसकला		1.300	5.000	0.000	6.300
66		शंकरपुरा		1.000	0.400	0.000	1.400
67		सांडसखुर्द		15.000	10.200	0.000	25.200
		योग : अम्बाडा		77.100	78.800	5.700	161.600
		सिरपुर					
68		खैरखेड़ा		3.300	2.800	0.000	6.100
69		निम्बापुर		9.600	12.100	4.300	26.000
70		नांदखेड़ा		4.800	8.200	0.800	13.800
71		सिरपुर		10.300	19.200	1.100	30.600
		योग : सिरपुर		28.000	42.300	6.200	76.500
		सिंधखेड़ा					
72		गुलई		3.800	0.000	0.400	4.200
73		महलगुराडा		32.000	28.600	5.600	66.200
74		सिंधखेड़ा		55.000	53.100	1.400	109.500
75		हनुमंतखेड़ा-अ		3.700	6.800	1.000	11.500
		योग : सिंधखेड़ा		94.500	88.500	8.400	191.400
		योग : दर्यापुर		437.600	470.800	63.600	972.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	खकनार	खकनार					
76			बोरखेडा	0.900	0.000	0.000	0.900
77			भैराघाट	1.600	2.600	0.000	4.200
78			धाबा	23.200	19.200	0.100	42.500
79			जामन्या	37.300	20.100	1.300	58.700
80			खकनार	26.100	30.000	8.200	64.300
81			खकनार खुर्द	7.300	8.200	3.000	18.500
82			पांगरी	6.900	10.900	0.400	18.200
			योग : खकनार	103.300	91.000	13.000	207.300
		डोईफोडिया					
83			बसाली	10.000	7.600	0.700	18.300
84			डोईफोडिया	7.700	3.100	1.500	12.300
85			कारखेडा	12.200	16.600	0.400	29.200
86			नायर	0.600	0.000	0.000	0.600
87			नांदुरा खुर्द	1.000	2.300	0.000	3.300
88			नांदुरा कला	2.500	2.800	0.000	5.300
89			नागझिरी	1.200	0.000	0.000	1.200
90			साईखेडा (डोईफोडिया)	5.000	2.300	0.000	7.300
91			सामरया	0.900	0.000	0.000	0.900
92			ताजनापुर	4.400	5.000	0.600	10.000
			योग : डोईफोडिया	45.500	39.700	3.200	88.400
		मांजरोद					
93			बिजोरी	19.800	22.500	22.900	65.200
94			दसघाट	9.900	14.600	7.600	32.100
95			कानापुर	17.500	13.800	1.300	32.600
96			मांजरोद कला	49.700	24.300	22.900	96.900
97			मांजरोद खुर्द	22.400	25.500	12.400	60.300
98			टेंभी	7.200	1.400	0.000	8.600
			योग : मांजरोद	126.500	102.100	67.100	295.700
		शेखापुर					
99			खडकी	2.400	2.100	0.000	4.500
100			मोहनगढ	6.900	5.100	1.300	13.300
101			निमंदड	6.900	10.300	1.000	18.200
102			रघई	29.700	13.200	11.400	54.300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
103			सावली	19.000	13.700	1.100	33.800
104			शेखापुर	29.900	13.600	8.900	52.400
			योग : शेखापुर	94.800	58.000	23.700	176.500
			योग : खकनार	370.100	290.800	107.000	767.900
	तुकईथड़	तुकईथड़					
105			चिड़ियामाल	5.000	4.100	0.000	9.100
106			खोदरी	11.900	8.500	5.600	26.000
107			मोन्द्रा	15.500	12.900	4.300	32.700
108			मेलचुका	10.200	6.600	4.300	21.100
109			पीपलपानी	18.900	12.900	24.500	56.300
110			रायतलाई	5.000	4.500	2.900	12.400
111			रामधड़	6.600	2.900	1.600	11.100
112			तुकईथड़	27.000	23.100	18.500	68.600
113			झिरमिटी	2.200	1.900	2.000	6.100
114			पांढरी	4.600	2.100	0.800	7.500
			योग : तुकईथड़	106.900	79.500	64.500	250.900
		देडतलाई					
115			बालापाट	4.300	2.800	1.300	8.400
116			पीपरी बोरबन	10.300	11.100	4.800	26.200
117			देडतलाई	3.300	1.300	1.500	6.100
118			धार (बेलथड)	34.600	32.500	31.100	98.200
119			सागमली	13.800	18.000	10.000	41.800
120			सातोड	1.400	0.000	0.000	1.400
121			चौखंडा	4.900	3.900	0.000	8.800
			योग : देडतलाई	72.600	69.600	48.700	190.900
		शेखपुरा					
122			दाहिन्दा	12.200	10.600	1.700	24.500
123			दैय्यत	19.800	9.500	3.800	33.100
124			डवाली	1.300	0.000	0.000	1.300
125			ढाकना	0.400	0.000	0.000	0.400
126			परेठा	4.900	5.100	0.000	10.000
127			रायपुर	1.600	0.000	0.000	1.600
128			रामाखेडा	0.800	0.000	0.000	0.800
129			साजनी	14.300	4.900	1.500	20.700
130			सेंधवाल	4.400	2.500	1.700	8.600



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
131			शेखपुरा	5.600	1.400	1.400	8.400
132			डांगुल्ला	1.200	0.000	0.000	1.200
133			झोलपुरा	1.000	0.000	0.000	1.000
			योग : शेखपुरा	67.500	34.000	10.100	111.600
			योग : तुकईथड़	247.000	183.100	123.300	553.400
	हैदरपुर	हैदरपुर					
134			डालमहू	13.400	3.900	0.000	17.300
135			घाघरला	35.800	16.700	0.000	52.500
136			हैदरपुर	59.400	33.700	1.100	94.200
137			हिवरा	45.900	17.700	0.000	63.600
			योग : हैदरपुर	154.500	72.000	1.100	227.600
		डाभियाखेड़ा					
138			बडीखेड़ा	62.700	42.200	2.100	107.000
139			डाभियाखेड़ा	53.700	28.200	0.700	82.600
140			पांचइमली	13.100	8.200	0.000	21.300
			योग : डाभियाखेड़ा	129.500	78.600	2.800	210.900
		नावरा-A					
141			नावरा	56.700	29.900	0.000	86.600
142			रहमानपुरा	24.300	16.700	2.500	43.500
143			सिंधखेड़ा (नावरा)	9.500	6.300	0.000	15.800
			योग : नावरा-A	90.500	52.900	2,500	145.900
		नावरा-B					
144			अमुल्ला	0.000	0.900	0.000	0.900
145			दूधिया	33.100	22.000	1.600	56.700
146			दर्यापुर (नावरा)	7.900	8.100	0.200	16.200
147			गोराडिया	40.700	21.600	1.300	63.600
148			गोलखेड़ा	12.300	13.600	2.700	28.600
149			केरपानी	32.500	26.400	2.200	61.100
150			मचगांव	5.300	1.300	0.000	6.600
151			नयाखेड़ा	14.600	5.100	0.000	19.700
152			रत्नापुर	12.200	3.900	1.400	17.500
			योग : नावरा-B	158.600	102.900	9.400	270.900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		नेपानगर-A					
153		अंधारबाडी		58.600	42.400	7.700	108.700
154		भातखेड़ा (सीवल)		38.700	23.900	0.400	63.000
155		बीड़ (नेपा)		0.100	0.800	0.000	0.900
156		सातपायरी		37.400	28.400	1.900	67.700
		योग : नेपानगर-A		134.800	95.500	10.000	240.300
		सीवल					
157		बदनापुर		33.700	25.000	1.200	59.900
158		बाकडी		1.000	0.000	0.000	1.000
159		सीवल		63.700	50.400	2.300	116.400
		योग : सीवल		98.400	75.400	3.500	177.300
		पलासुर					
160		पलासुर		99.000	35.000	1.000	135.000
161		साईखेड़ा (सीवल)		101.000	35.200	0.300	136.500
		योग : पलासुर		200.000	70.200	1.300	271.500
		नेपानगर-B					
162		बोरसल (चांदनी)		11.700	6.700	2.000	20.400
163		चांदनी		2.000	1.400	1.000	4.400
164		डवाली		5.900	7.200	2.600	15.700
165		नावथा		18.900	20.000	3.100	42.000
166		रतागढ़		4.300	0.900	0.800	6.000
		योग : नेपानगर-B		42.800	36.200	9.500	88.500
		योग : हैदरपुर		1009.100	583.700	40.100	1632.900
	पंधाना	आरुद					
167		आरुद		31.500	7.900	0.000	39.400
168		अंजनगाव		7.000	2.300	0.000	9.300
169		धनोरा		6.200	1.700	0.100	8.000
170		हीरापुर		6.600	2.500	0.000	9.100
171		पंधाना		1.000	0.400	0.000	1.400
172		बाबली		2.200	0.000	0.000	2.200
173		गोराडीया		0.400	0.000	0.000	0.400
		योग : आरुद		54.900	14.800	0.100	69.800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		कुमठी					
174			बलरामपुर	0.800	0.000	0.000	0.800
175			कुमठी	0.900	1.600	0.000	2.500
176			पचम्बा	3.400	0.000	0.000	3.400
177			पावईकला	5.400	3.200	0.000	8.600
178			रूस्तमपुर	0.800	1.600	0.000	2.400
179			शहपुरा	2.800	0.000	0.000	2.800
			योग : कुमठी	14.100	6.400	0.000	20.500
		बोरगांव बुजुर्ग					
180			बोरगांव बुजुर्ग	2.400	3.600	0.000	6.000
181			हेमगीर	16.600	14.300	0.600	31.500
182			इस्लामपुर	0.800	1.000	0.000	1.800
183			खिराला	1.600	2.000	0.000	3.600
184			पिपरहट्टी	26.900	15.200	0.000	42.100
185			राजोरा	4.000	0.000	4.200	8.200
			योग : बोरगांव बुजुर्ग	52.300	36.100	4.800	93.200
			योग : पंधाना	121.300	57.300	4.900	183.500
	पुनासा	पुनासा					
186			अटूटखास	3.400	1.400	2.000	6.800
187			खेडीबुजुर्ग	2.800	1.600	0.000	4.400
188			मुन्दी	0.000	1.200	2.600	3.800
189			खुटलाकला	1.100	0.000	0.000	1.100
190			अमोदा	0.800	0.000	1.000	1.800
			योग : पुनासा	8.100	4.200	5.600	17.900
		सुलगांव					
191			हरवंशपुरा	0.800	0.800	1.800	3.400
192			टेमाचा	3.200	1.200	1.400	5.800
193			बखरगांव	4.000	0.000	0.000	4.000
			योग : सुलगांव	8.000	2.000	3.200	13.200
			योग : पुनासा	16.100	6.200	8.800	31.100
	खण्डवा	खण्डवा					
194			भामगढ़	1.600	0.000	0.000	1.600
195			जसवाड़ी	4.200	1.300	1.300	6.800
196			खण्डवा	0.000	0.400	0.000	0.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
197			ललबाड़ा	2.200	2.500	0.000	4.700
198			शेखपुरा	3.700	2.200	0.000	5.900
199			जामलीकला	2.600	0.000	0.000	2.600
			योग : खण्डवा	14.300	6.400	1.300	22.000
सिंगोट							
200			अम्बापाट	2.400	0.400	0.000	2.800
201			बामंदा (खंडवा)	0.600	0.000	0.000	0.600
202			भगवानपुरा	1.100	2.000	0.000	3.100
203			खिड़गांव	7.800	2.500	0.700	11.000
204			लछोरा खुर्द	1.600	0.400	0.400	2.400
205			पिपल्याकला	2.800	2.000	0.000	4.800
206			सिंगोट	1.000	2.200	0.800	4.000
207			सेमल्चा (हांडीया)	2.800	0.500	0.000	3.300
208			चिचखेड़ा	0.500	0.000	0.000	0.500
			योग : सिंगोट	20.600	10.000	1.900	32.500
छैगांवमाखन							
209			बरूड	4.700	1.000	0.600	6.300
210			भोजाखेड़ी	0.800	0.000	0.000	0.800
211			डाभी	0.000	2.000	0.000	2.000
212			कोंडावद	1.200	0.000	0.000	1.200
213			निहालवाड़ी	0.500	0.000	0.000	0.500
214			सुल्याखेड़ी	0.000	0.000	0.500	0.500
			योग : छैगांवमाखन	7.200	3.000	1.100	11.300
			योग : खण्डवा	42.100	19.400	4.300	65.800
छनेरा							
215	छनेरा		बोरीसराय	5.600	5.000	0.000	10.600
216			मांडला	1.000	1.900	0.000	2.900
217			उन्डेल	3.600	6.100	0.000	9.700
218			दगडखेड़ी	0.400	1.000	0.000	1.400
219			बोथियाखुर्द	1.800	3.600	0.200	5.600
220			पाडल्या	1.600	3.000	0.000	4.600
221			पटाजन	0.000	1.000	0.000	1.000
222			खोरदा	1.200	0.000	0.000	1.200
			योग : छनेरा	15.200	21.600	0.2	37.00
			योग : छनेरा	15.200	21.600	0.2	37.00
			कुल योग :	2631.800	1975.500	488.0	5095.3

## भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-12-13-374.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसा. लिमि., सरवरदेवला, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	खरगोन/कसरावद	कसरावद	45	927.729
2	खरगोन/खरगोन	खरगोन	4	58.158
3	खरगोन/गोगांवा	गोगांवा	13	54.422
4	खरगोन/सेगांवा	सेगांवा	2	6.166
5	खरगोन/भीकनगांव	भीकनगांव	11	70.490
6	खरगोन/झिरनिया	झिरनिया	2	1.846
7	खरगोन/भगवानपुरा	भगवानपुरा	3	15.174
8	खरगोन/महेश्वर	महेश्वर	31	522.715
9	खरगोन/बड़वाह	बड़वाह	36	228.196
10	खरगोन/पुनासा	पुनासा	15	46.911
योग :			162	1931.807

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रोसे. सोसायटी लि., खरगोन  
यूनिट सरवर देवला, तेह. कसरावद, जिला खरगोन  
पैराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र, आरक्षण हेतु विकासखण्ड, कसरावद की ग्रामवार सूची

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमांक
		रोपा	जडी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कसरावद	44.109	51.239	95.348	
2	मोगांवा	19.462	35.684	55.146	
3	ब्राम्हणगांव	6.385	5.020	11.405	
4	दोगावा	0.000	1.162	1.162	
5	काकरियाव	2.810	1.530	4.340	
6	बड़गांव	21.862	22.441	44.304	
7	कठोरा (माकडखेड़ा)	12.757	14.162	26.919	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	माकडखेड़ा	63.996	35.636	99.632	
9	सायता	22.259	29.332	51.591	
10	नावडाटोडी	0.834	0.000	0.834	
11	बोधू	33.012	38.976	71.988	
12	भीलगांव	15.008	13.955	28.964	
13	डोगरगांव	7.826	10.648	18.474	
14	बालसमुद	19.162	16.324	35.486	
15	ढालखेड़ा	11.522	11.814	23.336	
16	जालनपुरा	1.223	3.579	4.802	
17	साटकुट	0.874	0.000	0.874	
18	पागाखेड़ी	2.567	0.000	2.567	
19	खलसाटक	5.008	4.838	9.846	
20	सरवरदेवला	25.684	2.437	28.121	
21	बोरावा	13.838	0.842	14.680	
22	धरमपुरी	4.409	0.000	4.409	
23	मनगांव	13.081	5.700	18.781	
24	अहिल्यापुरा	3.130	0.000	3.130	
25	करोदिया	0.000	0.834	0.834	
26	गोपालपुरा	5.672	0.000	5.672	
27	ओझरा	5.551	0.000	5.551	
28	सावदा	0.198	2.858	3.057	
29	बिठेर	1.356	2.482	3.838	
30	चंदनपुरी	0.000	0.713	0.713	
31	उटावद	29.947	11.186	41.134	
32	उमरिया	0.000	2.656	2.656	
33	सतवाडी	2.239	0.000	2.239	
34	मुलठान	0.000	0.895	0.895	
35	कमोदवाडा	0.000	1.312	1.312	
36	मदरानिया	2.810	2.267	5.077	
37	रहडकोट	0.364	0.000	0.364	
38	बलकवाड़ा	0.960	0.000	0.960	
39	बामखल	0.000	1.838	1.838	
40	टिगरियाव	4.077	16.401	20.478	
41	कोगावा	5.652	4.688	10.340	
42	अमलाथा	69.44	77.291	146.729	
43	लेपा	4.607	2.421	7.028	
44	नहारखेड़ी	1.482	5.397	6.879	
45	ससाबड	2.510	1.486	3.996	
योग .		723.664	607.178	927.729	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड खरगोन की ग्रामवार सूची					
1	लिक्खी	1.271	0.364	1.636	
2	लोनारा	0.000	1.943	1.943	
3	सिनखेड़ा	4.348	0.000	4.348	
4	डेहरी	29.417	20.814	50.231	
		योग . 35.037	23.121	58.158	

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड गोगांवा की ग्रामवार सूची

1	बेजापुर	7.753	3.154	10.907
2	बिलखेड बुजुर्ग	2.741	1.988	4.729
3	लाखी	0.000	1.652	1.652
4	बेहरामपुरा टेमा	0.000	0.000	0.000
5	ठिबगांव	2.745	0.000	2.745
6	जामन्या	0.765	0.000	0.765
7	बीड	1.632	0.000	1.632
8	कुकडोल	2.923	0.000	2.923
9	हतली	1.887	4.300	6.186
10	भसनेर	6.146	2.955	9.101
11	खेडी	2.522	1.575	4.097
12	मोगढी	3.053	1.911	4.964
13	देवली	4.721	0.000	4.721
		योग . 36.887	17.534	54.422

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड सेंगावां की ग्रामवार सूची

1	हनुत्या	0.000	0.498	0.498
2	दशनावल	2.826	2.842	5.668
		योग . 2.826	3.340	6.166

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड, भीकनगांव की ग्रामवार सूची

1	बिलखेड खुर्द	0.980	0.000	0.980
2	मछलग्वां	2.053	0.000	2.053
3	शगुर-भगुर	20.328	11.032	31.360
4	भीकनगांवां	0.000	0.559	0.559
5	बमनाला	1.385	1.737	3.121
6	रेहगांवां	1.672	3.028	4.700
7	सिरलाय	2.138	0.000	2.138

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	शक्कर खेड़ी	6.660	3.700	10.360	
9	नुरियाखेड़ी	2.668	3.660	6.328	
10	नरगांव	0.000	0.328	0.328	
11	सेल्दा	7.263	1.300	8.563	
		योग. . 45.146	25.344	70.490	

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड झिरन्या की ग्रामवार सूची

1	खोई	0.000	0.279	0.279
2	चेनपुर	0.000	1.567	1.567
		योग. . 0.000	1.846	1.846

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड भगवानपुरा की ग्रामवार सूची

1	भातुड	0.794	1.777	2.571
2	बाडी	11.401	0.000	11.401
3	बन्हुर	0.000	1.202	1.202
		योग. . 12.194	2.980	15.174

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड महेश्वर की ग्रामवार सूची

1	जलकोटा	42.227	49.644	91.870
2	खराडी	20.879	15.785	36.664
3	इटावदी	7.117	1.895	9.012
4	कुडियां	6.417	2.785	9.202
5	माचंदा	3.397	1.344	4.741
6	महेश्वर	23.611	28.008	51.619
7	मण्डलेश्वर	13.109	10.781	23.891
8	ठनगांव	1.449	1.656	3.105
9	छोटी खरगोन	18.243	9.907	18.150
10	करोदिया	1.178	0.000	1.178
11	चोली	5.700	1.628	7.328
12	धरगांव	12.287	16.117	28.405
13	सुलगांव	17.117	5.336	22.453
14	गोगांवा (मण्डलेश्वर)	5.660	8.449	14.109
15	नान्द्रा	33.198	16.462	49.660
16	मातमूर	9.182	6.340	15.522
17	देव पिपल्या	7.008	3.838	10.846
18	उरवाय	8.462	4.692	13.154



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	मोहना	1.652	3.603	5.255	
20	गुजर मोहना	1.680	0.911	2.591	
21	आशापुर	0.717	0.000	0.717	
22	महेतवाड़ा	4.170	1.231	5.401	
23	बडवी	4.356	5.964	10.320	
24	पथराड	10.69	0.000	10.692	
25	सोमाखेड़ी	1.595	0.721	2.316	
26	दोलतपुरा	0.243	0.960	1.202	
27	कतरगांव	6.101	1.721	7.822	
28	बंडेरा	5.951	8.777	14.729	
29	होदडिया	2.012	0.000	2.012	
30	कवाणा	16.166	0.874	17.040	
31	भुदरी	18.271	3.437	21.709	
योग .		309.850	212.866	522.715	

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड बडवाह की ग्रामवार सूची

1	नई बेहगांव	2.972	0.356	3.328
2	देहगांव	0.000	5.652	5.652
3	पाडयाघटखेड़ी	2.470	0.000	2.470
4	पिटाम्बली	7.870	6.753	14.623
5	रामगढ़	0.000	0.688	0.688
6	कोदया खेड़ी	9.648	4.332	13.980
7	बफलगांव	2.891	0.000	2.891
8	अमलाथा	3.717	0.000	3.717
9	मुरल्ला	3.915	2.854	6.769
10	सेमरला	0.385	0.000	0.385
11	भोराई	1.215	0.000	1.215
12	बावडी खेड़ा	1.000	5.356	6.356
13	नांदिया	10.320	5.328	15.648
14	अस्तरिया	23.842	14.575	38.417
15	खोडी	0.000	0.389	0.389
16	बेकल्या	0.000	1.587	1.587
17	सिरलाय	1.121	0.000	1.121
18	बागफल	1.522	0.000	1.522
19	कटघड़ा	0.000	1.397	1.397
20	नरसिंगपुरा	5.522	2.640	8.162
21	रतनपुरा	9.664	7.838	17.502
22	बोधगांव	1.028	1.049	2.077

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	बासवा	6.976	1.943	8.919	
24	भोकर नाला	1.595	0.000	1.595	
25	ढकलगांव	1.453	1.356	2.810	
26	लोंदी	3.599	0.000	3.599	
27	नगावां	0.000	6.656	6.656	
28	बडूद	5.947	11.393	17.340	
29	बावनी	4.154	0.000	4.154	
30	जूनापानी	1.077	0.000	1.077	
31	रूपखेडा	0.000	1.587	1.587	
32	खनगांवखेड़ी	11.753	6.737	18.490	
33	सनावद	1.611	0.538	2.150	
34	मलगांव	0.968	4.457	5.425	
35	बांगरदा	1.174	2.178	3.352	
36	कोटलिया खेड़ी	0.526	0.619	1.146	
योग .		129.935	98.259	228.196	

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकास खण्ड पुनासा की ग्रामवार सूची

1	मोरगढ़ी	1.360	0.000	1.360
2	रिच्छफल	2.445	7.320	9.765
3	जूनापानी	0.000	3.215	3.215
4	नान्दखेड़ा माफी	0.000	0.640	0.640
5	मोहना	1.700	1.024	2.725
6	अट्ट	1.628	0.000	1.628
7	कालिया खेड़ी	1.364	3.887	5.251
8	गोगल गांव	2.660	0.000	2.660
9	कामनखेड़ा	0.976	2.583	3.559
10	मसलाय	0.611	0.421	1.032
11	निमार खेड़ी	3.162	0.611	3.773
12	खेड़ी	3.328	0.000	3.328
13	कालमुखी	2.142	0.000	2.142
14	टेमाचा	1.753	0.000	1.753
15	गुजरखेड़ी	1.757	2.323	4.080
योग .		24.887	22.023	46.911

## भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-12-13-390.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कोडिया (गाडरवारा), जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नरसिंहपुर/गाडरवारा	फैक्ट्रीगेट	88	4338
योग :			88	4338

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

## SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD. KOUDIYA DISTT. NARSHINGPUR CANE REPORT IN HECT. 2012-13

Sr. No.	Village	Halka No.	Plant	Ist Ratoon	IInd Ratoon	Total Ha.	Number of Farmer's	Distance	Transport (Vehicle)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Chirriya	125	58	45	47	151	56	5	-
2	Sadumar	120	67	59	53	179	85	10	-
3	Sukri	122	48	52	44	144	35	6	-
4	Mehngwa	126	27	12	17	56	26	7	-
5	Imaliya	93	23	7	16	45	19	8	-
6	Gunbe	126	16	10	12	38	12	9	-
7	Lilwani	121	2	5	6	13	4	10	-
8	Kothiya	115	3	1	1	5	4	14	-
9	Atthaisa	123	10	5	4	18	9	13	-
10	Bhaisa	122	37	21	20	77	28	15	-
11	Kheri Paloha	108	21	4	6	31	15	17	-
12	Paloha	108	29	12	20	61	36	19	-
13	Amouda	109	6	5	6	17	8	25	-
14	Richhawar	109	6	3	2	11	13	24	-
15	Narwara	113	11	10	0	21	13	23	-
16	Bichhua	114	22	10	1	33	18	24	-
17	Gujarkheda	112	10	9	1	20	10	18	-
18	Khakariya	112	11	2	5	18	8	16	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Thareri	114	5	2	0	7	6	26	-
20	Bhatera	111	0	0	1	1	1	22	-
21	Chirah	100	22	28	9	59	40	10	-
22	Sangai	101	6	5	1	12	7	14	-
23	Chamchon	101	13	7	9	29	16	12	-
24	Gujar Jhiriya	101	4	3	6	13	8	13	-
25	Khapa	104	9	6	5	20	8	13	-
26	Dhonkheda	107	15	6	3	24	17	15	-
27	Bagadra	104	8	14	5	27	18	14	-
28	Kenkra	92	57	35	46	138	80	7	-
29	Barhata	92	37	23	29	89	58	8	-
30	Bareli	92	34	25	23	82	38	9	-
31	Ghat Pipariya	132	48	32	16	96	48	8	-
32	Kajrouta	91	14	16	11	41	25	9	-
33	Gadarwara	99	33	22	44	99	31	10	-
34	Imaliya Patlon	99	12	5	11	28	12	12	-
35	Ghurpur	91	3	2	3	9	8	16	-
36	Magarmunha	67	11	15	10	36	18	16	-
37	Dighori	67	10	12	19	40	19	17	-
38	Khamri Sudras	68	56	30	54	140	40	18	-
39	Sudras Khairai	68	4	3	2	9	4	18	-
40	Chichli	76	0	0	1	1	1	22	-
41	Bhootkheda	95	28	26	23	77	31	15	-
42	Bareli	95	28	25	21	74	32	16	-
43	Kathotiya	64	37	23	37	98	42	18	-
44	Bhamka	62	14	10	10	33	9	22	-
45	Pipariya	60	33	20	35	88	31	28	-
46	Golganv	61	28	11	15	54	9	25	-
47	Ukasghant	62	1	1	3	6	1	24	-
48	Kanharganv	66	74	48	66	187	58	16	-
49	Manhagva kala	65	19	15	25	59	17	18	-
50	Manhagva khri	65	14	15	19	47	14	18	-
51	Thalwada	77	31	25	36	91	19	18	-
52	Dahalwada	77	17	20	16	53	12	18	-
53	Sireganv	63	11	8	12	30	8	20	-
54	Kothiya	74	5	10	7	22	5	23	-
55	Dhursra	59	3	2	3	9	6	26	-
56	Baglai	79	15	9	11	35	17	25	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
57	Singpur	81	40	39	44	123	39	20	-
58	Aadeganv	80	32	26	17	75	26	28	-
59	Mau	74	4	5	7	16	5	25	-
60	Puariya	56	5	4	3	12	5	31	-
61	Chhainakchhar	70	19	24	4	48	26	30	-
62	Hirapur	71	28	13	8	50	24	25	-
63	Dongarganv	89	6	9	0	16	8	32	-
64	Bohani	131	128	79	61	268	101	5	-
65	Nayagaon	127	22	21	9	52	28	9	-
66	Amai	127	12	10	5	28	17	8	-
67	Rehli	127	35	18	9	62	34	10	-
68	Degunwa	128	17	16	8	40	19	14	-
69	Supari	128	10	8	5	22	10	13	-
70	Salaiya	118	25	17	7	50	20	18	-
71	Behra	128	8	3	0	11	9	25	-
72	Tigunwa	128	4	3	1	8	6	16	-
73	Lakha	129	4	4	2	10	4	10	-
74	Matwara	156	22	12	9	43	12	11	-
75	Tekaper	156	10	6	10	27	8	13	-
76	Budhwara	135	17	20	14	51	26	17	-
77	Chirchira	130	15	10	6	31	20	10	-
78	Marka	130	14	5	4	23	17	11	-
79	Sujwara	130	7	6	4	17	11	10	-
80	Dhandiya	129	34	21	5	60	20	11	-
81	Sher Baranjh	154	25	12	3	40	15	17	-
82	Bhorjhir	118	38	21	7	65	30	28	-
83	Sagoriya	139	15	8	3	25	11	31	-
84	Ghaghroula	116	10	4	1	15	8	30	-
85	Dungariya	141	26	22	9	57	20	36	-
86	Khulri	138	34	30	6	70	20	18	-
87	Mudiya	118	9	6	1	16	9	25	-
88	Soorna	119	4	1	1	6	2	29	-
Total		2680	1957	1557	4338	2492			

Note :—Weigh Bridge Avalabe only at Factory site.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

### सूचना

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. एफ-1-1-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य शासन, एक नवीन तहसील उदयनगर, जिला देवास सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील बागली, जिला देवास की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2. इस प्रस्ताव पर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे:—

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का प्रकार	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	उदयनगर	उदयनगर	बागली	वर्तमान तहसील बागली के रा.नि.मं. उदयनगर, वृत्त-2 के पटवारी हल्का नम्बर 38 लगायत 81 कुल 44 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील उदयनगर में रा.नि.मं. उदयनगर, वृत्त-2, 44 पटवारी हल्के होंगे, जिनमें कुल 99 ग्राम होंगे.	पूर्व में—तहसील हरसूद, जिला पूर्व निमाड़ पश्चिम में—तहसील बड़वाह, जिला खरगोन. उत्तर में—तहसील बागली दक्षिण में—तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड़.
क्र.	शेष तहसील	मुख्यालय	शेष तहसील	परिवर्तन का प्रकार	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02	बागली	बागली	बागली	वर्तमान तहसील बागली का राजस्व निरीक्षक मण्डल बागली, वृत्त-01 के पटवारी हल्का नम्बर 01 लगायत 37 इस प्रकार कुल 01 राजस्व निरीक्षक मण्डल, 37 पटवारी हल्के होंगे. जिनमें 144 ग्राम होंगे.	पूर्व में—तहसील कन्नौद पश्चिम में—तहसील देवास उत्तर में—तहसील सोनकच्छ दक्षिण में—प्रस्तावित तहसील उदयनगर.

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-12-13.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	देवराजपुर	0.260	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा.	विदिशा टीलाखेड़ी देवराजपुर खरबई से रायसेन सीमा तक मार्ग निर्माण.
			योग . . 0.260		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2013

क्र. 611-निर्वा.-2013.—जिले की स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये स्तम्भ क्रमांक (3) में उल्लेखित प्रथम सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित अध्यक्ष पद के लिये एवं स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित उपाध्यक्ष पद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं.

अतः, मैं, राकेश श्रीवास्तव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला भोपाल, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 (9) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 84 (20) के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूँ:—

क्र.	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम	प्रथम सम्मिलन का दिनांक	अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता	उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. भोपाल	7-1-2013	श्रीमती श्यामा भागीरथ पाटीदार, मु. पोस्ट मिसरोद, वार्ड-52, भोपाल.	नरेश, पोस्ट अरवलिया, ग्राम परवलिया सानी, भोपाल.
2	2. बैरसिया	7-1-2013	सत्यनारायण, ग्राम हिंगौनी, पो. धतूरिया, तहसील बैरसिया.	प्रहलाद सिंह, ग्राम पो. नायसमंद, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल.

राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).